सी० बी० 2-संख्या 285

लोक-सभा

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

[29 अप्रैल, 1974 को पेश किया गया]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अप्रैल, 1974/वैशाख, 1896 (शक)

मूल्य : 1 रु० 15 पैसे

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र ।

पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
V	12	1	आय की अधिनियम	आय कर अधिनियम
IX	—	3	तदर्थक रूप	तदर्थ रूप
XII	—	5	उत्पादन करना है	उत्पादन करता है
10	कालम 1	33	कालम 1 के नीचे	अन्ध्र प्रदेश
21	2	1	अशय	आशय
25	2	4	शोकसंतत	शोकसन्तप्त
31	4	3-4	21 फरवरी 1973	21 फरवरी, 1974
33)	3)	3 }	स्थान पर	स्थान पर निम्नलिखित
34)	8)	2, 9, 23)	प्रतिस्थापित	प्रतिस्थापित
37	—	3	संलिष्ट	संश्लिष्ट
38	—	8	असंयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव
38	3 (तीन)	1	विमान	विद्यमान
39	—	2	भूतलदा	भूतलक्षी

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रवर समिति की रचना	(iii)
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(v)
विमति टिप्पण	(x)
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक	1
परिशिष्ट—एक	
विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये लोक-सभा में प्रस्ताव	17
परिशिष्ट—दो	
एसोसिएशनों, संगठनों आदि की सूची जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन/टिप्पण आदि प्राप्त हुये	18
परिशिष्ट—तीन	
एसोसिएशनों, संगठनों आदि की सूची जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया	20
परिशिष्ट—चार	
प्रत्यक्ष कर (संशोधन), विधेयक, 1973 सम्बन्धी प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश ।	21

685 LS—1.

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य

2. श्री भागवत झा आजाद
3. श्री ओंकार लाल बेरवा
4. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
5. श्री एम० भीष्म देव
6. श्री जी० भुवाराहन
7. श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
8. श्री सोमनाथ चटर्जी
9. श्री यशवन्त राव चव्हाण
10. श्री एस० आर० दामाणी
11. श्री बी० के० दासचौधरी
12. श्री डी० डी० देसाई
13. श्रीमती एस० गौडफे
14. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
15. श्री समर गुह
16. श्री श्याम सुन्दर महापात्र
17. श्री कार्तिक उरांव
18. श्री डी० के० पंडा
19. श्री एच० एम० पटेल
20. श्री रामजी राम
21. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी
22. श्री बसन्त साठे
23. श्रीमती सावित्री श्याम
24. श्री इरा सेझियान
25. श्री सी० के० जाफर शरीफ
26. श्री शिव कुमार शास्त्री
27. श्री सोमचन्द सोलंकी
28. श्री एम० सुदर्शनम्
29. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
30. श्री के० आर० गणेश

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम्, सचिव, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)
2. श्री आर० वी० एम० पेरि-शास्त्री, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)
3. श्री वी० एस० भाष्यम् उप विधायी परामर्शदाता, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एम० आर० यार्डी, **वित्त सचिव**
2. श्री आर० डी० शाह, **चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड**
3. श्री के० ई० जौनसन, **सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड**
4. श्री के० आर० खोसला, **निदेशक**
5. श्री ओ० पी० भारद्वाज, **उप सचिव**
6. श्री वी० पी० मिनोचा, **अवर सचिव**

सचिवालय

1. श्री पी० के० पटनायक—**संयुक्त सचिव**
2. श्री हरिगोपाल परांजपे—**उप-सचिव**।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति जिसे आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का आगे संशोधन करने और तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक *सौंपा गया था, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक भी संलग्न है।

2. यह विधेयक 3 सितम्बर, 1973 को लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था, विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री श्री के० आर० गणेश ने सभा में 23 नवम्बर, 1973 को प्रस्तुत किया और उसे स्वीकार किया गया (परिशिष्ट--एक)।

3. समिति की कुल ग्यारह बैठकें हुईं।

4. समिति की पहली बैठक 7 दिसम्बर, 1973 को हुई जिसमें उन्होंने अपना कार्यक्रम तैयार किया। समिति ने यह निश्चय किया कि राज्य सरकारों, वाणिज्य और उद्योग संघों, व्यापार संगठनों और अन्य संस्थाओं तथा विधेयक की विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से 31 दिसम्बर, 1973 तक लिखित ज्ञापन मंगवाये जायें।

समिति ने यह भी निश्चय किया कि भारत सरकार के सम्बन्धित सचिवों को विधेयक के उपबन्धों पर मौखिक साक्ष्य देने के लिये बुलाया जाये।

5. समिति को विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, आदि से 35 ज्ञापन प्राप्त हुये (देखिये परिशिष्ट--दो)।

6. समिति ने 17 और 19 जनवरी, 1974 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आदि तथा भारत सरकार के सम्बन्धित सचिवों का साक्ष्य सुना। उन संस्थाओं, संगठनों आदि की सूची, जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया, परिशिष्ट--तीन में दी गई है।

7. 8 अप्रैल, 1974 को हुई अपनी बैठक में समिति ने यह निर्णय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा जाये; और (दो) विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आदि से प्राप्त प्रत्येक ज्ञापन की दो-दो प्रतियां, प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद, संसद् सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद् ग्रन्थागार में रखी जायें।

8. समिति का प्रतिवेदन 22 फरवरी, 1974 तक प्रस्तुत किया जाना था। 21 फरवरी, 1974 को समिति का प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1974 तक प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाया गया।

9. समिति ने 4 और 5 फरवरी, 27 मार्च, और 8 अप्रैल, 1974 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया।

10. समिति ने 22 अप्रैल, 1974 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

11. विधेयक में जिन मुख्य परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है उनके सम्बन्ध में समिति के विचार परवर्ती पैराग्राफों में विस्तार सहित दिये गये हैं।

12. **खण्ड 2**--समिति ने नोट किया कि आय की अधिनियम, 1961 की धारा 10 में अन्तः स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये खण्ड (17क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या इस निमित्त उसके द्वारा अनुमोदित साहित्यिक वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य या योग्यता या खेल या क्रीड़ाओं में प्रवीणता के लिये पुरस्कार के अनुसरण में किया गया संदाय आय-कर से पूर्णतया मुक्त होगा। समिति का विचार है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित पुरस्कारों के अनुसरण में संदेय राशि को भी केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कारों की भांति आय कर से पूर्णतया मुक्त रखा जाये।

---

*3 सितम्बर, 1973 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

प्रस्तावित नये खण्ड (17क) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

13. **खण्ड 3**--समिति ने इस खण्ड के उपखण्ड (क) में कुछ संशोधन किए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :--

(एक) समिति का विचार है कि प्रारम्भिक अवक्षयण का प्रस्तावित लाभ लघु औद्योगिक उपक्रमों में संस्थापित मशीनरी और संयंत्र को दिया जाना चाहिए चाहे ऐसे उपक्रम किसी भी वस्तु या चीजों का विनिर्माण करते हों। इस प्रयोजन के लिए उस औद्योगिक उपक्रम को जिसकी संस्थापित मशीनरी और संयंत्र का मूल्य सात लाख पचास हजार रुपये से अधिक न हो; लघु औद्योगिक उपक्रम माना जाना चाहिए।

(दो) समिति ने नोट किया कि आय कर अधिनियम, 1961 के वर्तमान उपबन्ध के अनुसार 1 जून, 1974 से पूर्व संस्थापित मशीनरी और संयंत्र पर ही विकास छूट अनुज्ञात है, समिति का विचार है कि जिन उपक्रमों के पास विकास छूट के रूप में बहुत बड़ी रकम जमा है वे प्रारम्भिक अवक्षयण का लाभ कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 या परवर्ती वर्षों में तब तक नहीं उठायेंगे जब तक वे लाभ का ऐसी विकास छूट से प्रतिसंतुलन नहीं कर लेते। इसका कारण यह है कि प्रारम्भिक अवक्षयण का समायोजन करने के बाद, जिसमें अब प्रस्तावित प्रारम्भिक अवक्षयण भी शामिल हैं, प्राप्त लाभ का विकास छूट से प्रतिसंतुलन किया जा सकता है। चूंकि प्रारम्भिक अवक्षयण छूट देने की व्यवस्था करने का उद्देश्य औद्योगिक उपक्रमों की सहायता करना है न कि विकास छूट के अधिकार से वंचित करके उनको हानि पहुंचाना, अतः समिति का विचार है कि एक निर्धारिती अपनी इच्छा से प्रारम्भिक अवक्षयण छूट की प्रस्तावित प्रसुविधा का (योजना को चालू करने के प्रारम्भिक वर्षों में) लाभ न उठाने की घोषणा कर सकता है। निर्धारिती उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें वह नये खण्ड (छः) के अधीन पहली बार कटौती का हकदार हो जाता है, आय की विवरणी भेजने के लिये निर्धारिती अवधि की समाप्ति के पूर्व अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है। निर्धारिती यदि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लेता है, तो उसे प्रारम्भिक अवक्षयण छूट के मामले में तब तक कोई छूट नहीं दी जायेगी जब तक की वह अपने विकल्प का प्रतिसंहरण नहीं करता। निर्धारिती के लिए यह भी आवश्यक होना चाहिए कि वह उस निर्धारण वर्ष के लिए जिस में ऐसा प्रतिसंहरण लागू होगा, आय की विवरणी देने के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व आयकर अधिकारी को लिखित रूप में प्रति संदरण का नोटिस दे दे।

(तीन) समिति नोट करती है कि प्रस्तावित उपबन्धों के अधीन नौवहन और विमानन के कार्य में लगी हुई संस्थाओं द्वारा 31 मई, 1974 के पश्चात् अर्जित किये गये नये पोतों या नये विमानों और कुछ विशिष्ट उद्योगों में उस तारीख के बाद स्थापित नयी मशीनरी या संयंत्र के मामले में प्रारम्भिक अवक्षयण के कारण छूट अनुमत्य होती होगी। वित्त विधेयक, 1974 में एक ऐसा उपबन्ध हैं जिसमें कोयले से चलने वाले वायलरों, तेल से चलने वाले वायलरों को कोयले से चलने वाले वायलरों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक मशीनरी और संयंत्र तथा पोत, मशीनरी अथवा संयंत्र की बाबत उन मामलों में एक और वर्ष तक विकास छूट जारी रखने की व्यवस्था है जिनमें निर्धारिती ने 1 दिसम्बर, 1973 से पूर्व इनको खरीदने का करार कर लिया था। इस स्थिति को देखते हुए, कुछ मामलों में इन पोतों, वायुयानों, मशीनरी अथवा संयंत्रों पर उस स्थिति में भी विकास छूट देनी होगी जबकि इनका अधिग्रहण अथवा इनकी स्थापना 31 मई, 1974 के पश्चात् अपितु 1 जून, 1975 से पूर्व की जाए। अतः इसका प्रभाव यह होगा कि ऐसे मामलों में निर्धारिती एक ही पोत, वायुयान, मशीनरी अथवा संयंत्र पर वित्त विधेयक, 1974 के उपबन्धो के अधीन विकास छूट और प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के प्रस्तावित उपबन्धों के अधीन प्रारम्भिक अवक्षयण छूट दोनों ही का हकदार होगा।

चूंकि हमारी मंशा यह है कि उन पोतों, वायुयानों, मशीनरी अथवा संयंत्र पर प्रारम्भिक अवक्षयण छूट न दी जाये जिन के मामले में विकास छूट दी जाती है इसलिए समिति का विचार है कि प्रारम्भिक अवक्षयण छूट केवल उन पोतों, वायुयानों, मशीनरी अथवा संयंत्र के मामले में दी जानी चाहिए जिनके मामले में विकास छूट अनुमत्य नहीं है।

(चार) समिति नोट करती है कि प्रस्तावित उपबन्धों के अधीन निर्धारिती द्वारा भारत में आयातित पूरी तरह मरम्मतशुदा मशीनरी अथवा संयंत्र को नयी मशीनरी अथवा संयंत्र समझा जायेगा और तदः

नुसार इस पर प्रारम्भिक आवक्षयण छूट मिलेगी। समिति का विचार है कि ऐसी प्रारम्भिक अवक्षयण छूट उन मामलों में भी अनुमत्य होनी चाहिए जहां मरम्मतशुदा मशीनरी अथवा संयंत्र का निर्धारिती द्वारा सीधे भारत में आयात नहीं किया जाता, अपितु उनको ऐसी मशीनरी अथवा संयंत्र का लेनदेन करने वाले एक ऐसे व्यापारी से खरीदा जाता है जिसने उनका भारत में आयात किया है।

तदनुसार खण्ड 3 के उपखण्ड (क) में संशोधन कर दिया गया है।

14. **खण्ड 4**——आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 34 की प्रस्तावित नई उप-धारा (2क) में उपबन्ध है कि प्रारम्भिक आवक्षयण छूट नवम् अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट चीजों या वस्तुओं में से एक या अधिक के सन्निर्माण विनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए संस्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत तब तक अनुमत्य नहीं होगी जब तक करदाता विहित प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र नहीं देता कि मशीनरी या संयंत्र को ऐसे कारबार के प्रयोजन के लिए संस्थापित किया गया है। समिति का विचार है कि विहित प्राधिकारी से प्रमाणपत्र लेकर देने की इस शर्त से छोटे करदाताओं को कठिनाई हो सकती है।

अत: नई उप-धारा (2क) का लोप कर दिया गया है।

15. **खण्ड 6**——(एक) समिति ने नोट किया है कि प्रस्तावित उपबन्धों के अधीन एक निर्धारिती, जो किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संगम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को उसके द्वारा चलाए जा रहे कारा-बार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए कोई राशि संदत्त करता है, उसे इस प्रकार संदत्त राशि के एक सही एक बटा तीन के बराबर राशि कटौती के रूप में अनुमत्य होगी।

समिति का विचार है कि चूंकि वैज्ञानिक अनुसंधान जिसके लिये निर्धारिती द्वारा राशि दी गई थी एक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना था जिसको कि देश की सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि विहित अधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किया गया था अत: प्रस्तावित प्रोत्साहन निर्धारिती द्वारा किये जाने वाले व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये दी जाने वाली राशि तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिये।

अत: खण्ड 5 के उप-खण्ड (ग) द्वारा अन्त:स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये उप-खण्ड (2क) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(दो) आयकर अधिनियम, 1961 के खण्ड 35 के प्रस्तावित उप-खण्ड (2क) के स्पष्टीकरण खण्ड 5 के उप-खण्ड (ग) द्वारा अन्त:स्थापित किया जाने वाला है, का लोप पारिणामिक है।

16. **खण्ड 9**——(एक) समिति की राय है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये, ऐसे क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त लाभ और अभिलाभ की रकम के बीस प्रतिशत के बराबर प्रस्तावित कटौती उन मामलों में भी दी जानी चाहिये जहां एक गैर–पिछड़े क्षेत्र में स्थापित वर्तमान औद्योगिक उपक्रम का अन्तरण पिछड़े क्षेत्र में किया गया हो।

प्रस्तावित धारा 80जज के खण्ड 2 के उप-खण्ड (ii) और (iii) में तदनुसार शोधन किया गया है।

(दो) विधेयक के अन्तर्गत, पोत सन्निर्माण में लगे हुए किसी उपक्रम को कर में प्रस्तावित रियायत उपलब्ध नहीं होगी। समिति का विचार है कि ऐसे उपक्रमों को प्रस्तावित रियायत से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। नई धारा 80 जज की उप-धारा (10) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(तीन) इस खण्ड में किये गये अन्य संशोधन पारिणामिक हैं।

17. **खण्ड 15**:––समिति ने पिछड़े क्षेत्रों की सूची में कुछ निम्नलिखित संशोधन किये हैं :—

(एक) समिति को बताया गया कि इस खण्ड की सूची में दर्ज कुछ जिले 3 सितम्बर, 1973 अर्थात् लोक सभा में विधेयक पुरःस्थापित किये जाने की तारीख से पूर्व या तो दो भागों अथवा तीन भागों में विभाजित कर दिये गये थे अथवा अन्यथा पुनर्गठित किये गये थे तथा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ जिले योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों की सूची में जोड़ दिये गये थे। समिति का विचार है कि विधेयक में पिछड़े क्षेत्रों की सूची योजना आयोग द्वारा निर्धारित इस प्रकार के क्षेत्रों की सूची के अनुरूप होनी चाहिये।

(दो) समिति का विचार है कि महाराष्ट्र राज्य में कोलाबा जिला के उस भाग को, जिसे कि नए मुम्बई के प्रस्तावित नए नगर के स्थल के रूप में अभिहित किया गया है [देखिये भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० आर० पी० बी० 1173–I–आर० पी० बी० तारीख 16 अगस्त, 1973 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं० आर० पी० बी० 1171-18124 आई० डब्ल्यू तारीख 20 मार्च, 1971 जो महाराष्ट्र सरकार (नगर विकास, लोक स्वास्थ्य और आवास विभाग) द्वारा महाराष्ट्र रिजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 (1966 का महाराष्ट्र अधिनियम सं० 37) की धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी] पिछड़े क्षेत्रों की सूची से हटा दिया जाना चाहिये।

(तीन) समिति का यह भी विचार है कि मैसूर राज्य तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र को उनके नये नाम अर्थात् क्रमशः कर्नाटक और लक्ष द्वीप से पुकारा जाना चाहिये।

(चार) समिति की यह भी राय है कि प्रस्तावित अनुसूची में किसी जिले के प्रति निदेश का यह अर्थ लगाया जाना चाहिये कि वह उस जिले में 3 सितम्बर 1973 को, जो विधेयक को लोक सभा में पुरःस्थापित करने की तारीख है, समाविष्ट क्षेत्रों के प्रति निर्देश है तथा किसी प्रकार का पुनर्गठन अथवा जिलों के नाम में परिवर्तन जो राज्य सरकारों द्वारा किये गये हों, उन क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों और होटलों को मिलने वाली रियायत की व्याप्ति को बढ़ाने या सीमित करने संबंधी प्रभाव नहीं डालेंगे।

पिछड़े क्षेत्रों की सूची में संशोधन किया गया है तथा इस खण्ड में तदनुसार एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है।

18. **खण्ड 16**:––समिति का विचार है कि प्रस्तावित नवम अनुसूची में विभिन्न वस्तुओं या चीजों का उल्लेख करते समय आय-कर अधिनियम, 1961 की पांचवी अनुसूची की भाषा का यथासम्भव अनुसरण लाभ-प्रद होगा।

समिति सिफारिश करती है कि इस्पात की ढलाई तथा फोर्ज, उर्वरक, टेक्सटाइल और सीमेंट से सम्बधित वस्तुओं को पुर्नभाषित किया जाना चाहिये तथा पांचवीं अनुसूची में उल्लिखित समान वस्तुओं की भाषा के अनुरूप रखा जाना चाहिये।

प्रस्तावित नवम अनुसूची में वस्तुओं या चीजों की सूची में तदनुसार संशोधन किया गया है।

19. **खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और औपचारिक किस्म के परिवर्तन** :––लोक सभा में विधेयक 3 सितम्बर, 1973 को पुरःस्थापित किया गया था। समय व्यतीत हो जाने के कारण खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा किन्हीं अन्य खण्डों म कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

खण्ड एक के उपखण्ड (2) के कारण खण्ड 2, 6, 14, 17, 19, 21 तथा 22 जिनमें प्रारम्भ सम्बन्धी उपबन्ध नहीं है, 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रभावी माने जायेंगे। विधेयक के खण्ड 14, 17, 19 तथा 21 भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस शक्ति का उपयोग इस विधान के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है तथा समिति का विचार है कि इन खण्डों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना आवश्यक नहीं है। खण्ड 2, 6 तथा 22 के प्रयोजन के लिये भूतलक्षी प्रभाव का होना महत्वपूर्ण है। इसलिये समिति की सिफारिश है कि खण्ड एक के उपखण्ड (2) का लोप कर दिया जाये तथा खण्ड 2, 6 तथा 22 में भूतलक्षी प्रभाव की व्यवस्था करने के विशिष्ट उपबन्ध बनाये जायें।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक में खण्ड 5(क) तथा (ग) 7, 8, 9, 10, 11, 12 तथा 15 में प्रस्तावित संशोधन को 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से लागू किये जाने का आदेश दिया गया था। क्योंकि 1974 के अप्रैल का प्रथम दिन समाप्त हो चुका है, समिति का विचार है कि निदेश का तदर्थ क रूप में संशोधन करना आवश्यक है कि सम्बद्ध संशोधन को 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से किया गया माना जाये।

उपरोक्त उपबन्धों में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

20. प्रवर समिति की सिफारिश है कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

नई दिल्ली; — नरेन्द्र कुमार साल्वे,

29 अप्रैल, 1974 — सभापति,

प्रवर समिति।

9 वैशाख, 1896 (शक)

विमति टिप्पण

एक

यह अभाव, बेरोजगारी, प्रगतिरोधता तथा मुद्रा स्फीति का युग है । उत्पादन को कम से कम वर्तमान स्तर पद बनाये रखना आज की सर्वोच्च आवश्यकता है । संयन्त्र बदलने में पूंजी निवेश किये बिना उत्पादन की मात्रा को बनाये रखा नहीं जा सकता। पूंजी निवेश के लिये धन राशि मुख्य रूप से कम्पनियों के स्रोतों से प्रोप्त होती है । यदि कर लगा कर इस धन राशि को उनसे ले लिया जाये तो कम्पनियों के पास इस कार्य के लिये कोई साधन नहीं रह जायेंगे । समाजवादी देश स्वीडन में निगमित कर 40 प्रतिशत है तथा आर्थिक संस्थायें अभी भी 32 प्रतिशत की कम दर पर कर देती है । इसके विपरीत भारत में इस समय कम्पनियों पर 65 प्रतिशत तथा उससे अधिक कर लगाया जाता है । स्थिर आस्तियों को बदलने की लागत तेजी से बढ़ती जा रही है । गत केवल 12 महीनों में ही थोक मूल्य सूचकांक 26 प्रतिशत बढ गया है । गत दशक में मशीनरी के मूल्य का सूचकांक 100 प्रतिशत बढ़ गया है । आधुनिकीकरण की बात तो जाने दीजिये जब उनके पास मशीनों की बदली करने के लिये कोई धन-राशि नहीं होगी तो सैकड़ों यूनिटें उत्पादन बन्द कर देंगी ।

इसकी तुलना में विधेयक में 20 प्रतिशत प्रारम्भिक मूल्य ह्रास छूट के रुप में जो अवास्तविक प्रोत्साहन दिया गया है उसका कुछ लाभ कर प्रभाव नहीं होगा । प्रारम्भिक मूल्य ह्रास छूट का अर्थ यदि उससे कोई आय प्राप्त होती है तो, आस्थगित कराधान के अतिरिक्त कुछ और नहीं क्योंकि कुछ मूल्य ह्रास छूट 100 प्रतिशत तक ही हो सकती है । मूल्य ह्रास तथा विकास सम्बन्धी पहले की नीति के अनुसार बट्टे खाते के लिये 120 से 135 प्रतिशत तक छूट दी जाती थी ।

इसलिये मैं जोरदार शब्दों में आग्रह करता हूं कि प्रारम्भिक मूल्य ह्रास छूट बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी जाये तथा कुल मूल्य ह्रास छूट बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दी जाना चाहिये । यह बात राष्ट्रीय हित में हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य उत्पादन को बनाये रखना ही नहीं है वरना उसे बढ़ाना भी है ।

नई दिल्ली; **डी० डी० देसाई**
25 अप्रैल, 1974

दो

विधि आयोग ने अपने बारहवें प्रतिवेदन में इस बात को अत्यावश्यक समझा था कि "बहुत अधिक जल्द बाजी में तथा अच्छी तरह सोचे-समझे बिना संशोधन करने पर रोक लगायी जानी चाहिये क्योंकि आयकर विधि में अब तक इसी प्रकार के संशोधन किये जाते रहे हैं।" 1958 में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद से कराधान विधि में 800 से अधिक संशोधन किये जा चुके हैं । कानूनों में संशोधन करते जाने से इस विधि के विभिन्न उपबन्ध और जटिल तथा अस्पष्ट हो गये हैं तथा प्रस्तुत विधेयक भी इस बात का अपवाद नहीं है ।

नवम्बर 1973 में जब इस विधेयक को जल्दबाजी में विचार करके पारित किया जा रहा था, तब मैंने यह प्रस्ताव पेश किया था कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये । जिन अन्य सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था, उन्होंने भी मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन किया था । यद्यपि वित्त मंत्री बाद में मेरे इस सुझाव से सहमत हो गये थे परन्तु आरम्भ में उन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की थी । इस चर्चा के उपरान्त वित्त मंत्री प्रवर समिति नियुक्त करने के लिये सहमत हो गये, इसके लिये मैं उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं ।

मेरे विचार में, विधेयक के निम्नलिखित खण्डों का प्रारूप तैयार करने और उनकी विषय-वस्तु के संबध में और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये तथा उनमें और अधिक स्पष्टता लायी जानी चाहिये ।

खण्ड 2:—अपने संशोधन में मैंने सुझाव दिया था कि स्पष्टीकरण में डिजाइन तथा परिनिर्माण से संबद्ध क्रियाकलापों के संबंध में भी व्याख्या सम्मिलित की जाये । विधेयक में इस संशोधन द्वारा उप-खण्ड (क) में लगाया गया वह प्रतिबन्ध हट जाता

है जो स्पष्टतः 'तकनीशियनों' के बारे में है। जब तक तकनीशियन संबंधी स्पष्टीकरण में संशोधन नहीं किया जाता तब तक विधेयक में प्रस्तावित संशोधन करने से अभीष्ट उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि यह संशोधन स्वयं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड 6 के उप-खण्ड (सात) (क) के कार्य क्षेत्र से पूर्णतः बाहर रहेगा।

खण्ड 3—इस खण्ड में 'नया पोत' तथा 'नयी मशीनरी' की परिभाषा में परिवर्तन करके उसमें "निर्धारिती के स्वामित्वाधीन तथा व्यापार या व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त" शब्द भी जोड़े जाएं। "आयकर अधिनियम की धारा 32 के आरम्भ के शब्द इस सम्बन्ध में सहायक नहीं होंगे क्योंकि यह पद केवल "भवन निर्माण मशीनरी संयंत्र या फर्नीचर" तक सीमित है। संयंत्र पद की धारा 43 में जो परिभाषा दी गयी है उस में 'एकपोत सहित' शब्द भी सम्मिलित है। अतः इस परिभाषा में नये वायुयान की तो बात ही क्या वायुयान भी सम्मिलित नहीं है। 'नया पोत' तथा 'नया वायुयान' पद 'पोत तथा मशीनरी' से बिलकुल भिन्न है। धारा 31 में जिन वस्तुओं के बारे में कहा गया है, ये उनसे बिलकुल भिन्न हैं और यदि आयकर अधिकारी निर्धारिती के स्वामित्वाधीन तथा कारबार के लिए प्रयुक्त नये पोत और नयी मशीनरी तथा संयंत्र पर प्रारम्भिक मूल्य ह्रास नहीं देता तो निर्धारिती प्रस्तावित उप-खंड (छ) में इन महत्वपूर्ण शब्दों का लोप होने की ओर ध्यान दिला कर अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को सफलता पूर्वक चुनौती दे सकता है।

खण्ड 3 के वर्तमान रुप में भी भारत के अनिवासी के लिए विकास रिबेट प्राप्त करने तथा उस परिसम्पत्ति को कपटपूर्ण व्यवस्था द्वारा भारत के किसी नागरिक को अन्तरित करने की पर्याप्त गुंजायश है। आयकर अधिनियम के अधीन निवासी तथा अनिवासी दोनों निर्धारितियों के संबंध में कुल आय पर एक ही आधार पर कर-निर्धारण किया जाता है। अनिवासी को वे सभी रियायतें दी जाती हैं जो किसी निवासी निर्धारिती को प्राप्त हैं। उनमें कोई अन्तर नहीं किया गया है।

खण्ड 13 के सम्बन्ध में मुझे आशंका है कि इससे लेखाओं में हेरा फेरी करने तथा कर-अपवंचन करने की बहुत अधिक गुंजायश रहेगी। यह बात आयकर आयोग बनाम वैजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड वाले मुकदमे में सरकार द्वारा उच्चतम-न्यायालय के समक्ष रखे गए तर्कों के एकदम विपरित हैं। उक्त मामले में सरकारी वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि "देय शास्ति का निर्धारण करते समय, अग्रिम रूप से दिए गए या स्रोत पर काटे गए करों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।"

इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं परन्तु विधेयक में किसी क्षेत्र में पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए कोई उपयुक्त मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। योजना आयोग द्वारा अपनाये गए मानकों तथा कार्यविधि के सम्बन्ध में आपत्ति की जा सकती है अतः इन पर आगे विचार किया जाना चाहिए। सारे जिले को पिछड़ा हुआ या उन्नत घोषित करना सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि तथाकथित 'विकसित' जिले का कोई भाग पिछड़ा हुआ हो सकता है तथा इसी प्रकार तथाकथित 'पिछड़े' जिले का कोई भाग 'विकसित' भी हो सकता है। अतः प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से किए गए इस प्रकार के निर्धारण के कारण किसी क्षेत्र या इलाके को इन प्रोत्साहनों से होने वाले लाभों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि आश्चर्य नहीं यदि राज्य सरकारें इस खण्ड के अधीन दिए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक जिलों तथा क्षेत्रों को 'पिछड़ा' घोषित करने के प्रयास में एक दूसरे से होड़ करने लगें।

नवम अनुसूची की युक्तिसंगतता समझ में नहीं आती है। पांचवीं अनुसूची की तुलना में इस सूची में कुछ उद्योगों को सम्मिलित किए जाने या छोड़ दिए जाने की कोई युक्तिसंगतता या कारण प्रतीत नहीं होता। जब मंत्रालय ने हमें अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की कुछ मदों को नवम अनुसूची में सम्मिलित न करने के सम्बन्ध में टिप्पण भेजा तो स्थिति और अधिक अस्पष्ट हो गयी। उदाहरणार्थ 'कीटनाशी दवाइयां' अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की एक मद है परन्तु विधेयक को नवम अनुसूची में इस मद को नहीं रखा गया। इसके सम्बन्ध में विभाग ने यह कारण बताया है कि "इस मद पर किसी प्रकार का मूल्य नियंत्रण नहीं है अतः यह अनुभव किया गया है कि इस उद्योग के लिए प्रारम्भिक मूल्य ह्रास सम्बन्धी छूट देना आवश्यक नहीं है।"

इसी प्रकार विभाग ने आटोमोबाइल पुर्जों, जोड़ रहित नलियों, गियरों, बाल, रोलर तथा 'टेपर्ड बियारिंग' (पांचवी अनुसूची में मद संख्या 20 से 23) को नवम अनुसूची में पूरी तरह छोड़ दिया है तथा यह तर्क दिया है कि आज बाजार में विक्रेता इन वस्तुओं का जितना मूल्य मांगते हैं, वह देना पड़ता है। इन पर कोई मूल्य-नियंत्रण नहीं है।' एक अन्य मद (पांचवीं अनुसूची की मद संख्या 24) को इस अनुसूची में सम्मिलित न किए जाने का यह कारण बताया गया है कि "इसके मूल्य नियंत्रित नहीं है।" अतः किसी मद को उक्त अनुसूची में सम्मिलित न किए जाने का आधार यह प्रतीत होता है कि यदि किसी वस्तु का जितना मूल्य विक्रेता मांगते हैं, उतना देना पड़े और उस पर मूल्य नियंत्रण न हो तो उस मद को उक्त अनुसूची में सम्मिलित न किया जाता है। यदि यही बात है तो भारत में इस समय उत्पादन तथा वितरण की कोई ऐसी मद नहीं है जिसके सम्बन्ध में विक्रेता जितना मूल्य मांगे उतना न देना पड़े तथा उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभावी मूल्य-नियंत्रण हो।

जब अनाज का उत्पादन तुरन्त बढ़ाने की आवश्यकता है तो यह बात समझ में नहीं आती कि कीटनाशियों के उत्पादन को नवम अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया जाता । कृषि मंत्रालय ने भारतीय कीटनाशी संस्था द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है :

"यह उल्लेख कर दिया जाए कि कीटनाशी उद्योग को परमावश्क उद्योग माना गया है क्योंकि यह उद्योग उन वस्तुओं का उत्पादन करना है जिनकी आम खपत के लिए आवश्यकता है । कीटनाशी की स्पष्ट परिभाषा की जा सकती है और इसलिए इस सम्बन्ध में दी गई रियायत का दुरुपयोग होने की बहुत कम सम्भावना है ।"

यदि वित्त मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो उन्हें कम से कम सरकार के अन्य मंत्रालयों की सिफारिशों पर तो कुछ विचार करना चाहिए था ।

इसके अतिरिक्त, नवम अनुसूची की यह संख्या 8 में "औद्योगिक और कृषि मशीनरी" शब्दों का जो उल्लेख किया गया है वह बहुत अस्पष्ट है और इसके अंतर्गत सभी प्रकार की मशीनें और उपकरण आ जाते हैं । इस विधेयक में जो कमियां और बचाव के रास्ते रह गए हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार शीघ्र ही फिर से विधेयक में और संशोधन करेगी ।

इरा सेझियान

नई दिल्ली ;
25 अप्रैल, 1974

तीन

यह प्रतीत होता है कि हमारे देश में सरकार की यह धारणा बन चुकी है कि जब तक उद्योगपतियों को करों में राहत देकर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तब तक देश में उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता और यह कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । बड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों का, जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष स्पष्ट किया, यह विचार था कि करों में राहत देकर उद्योगपतियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और यह कि अब तक जो विकास छुट दी जाती रही है वह न केवल जारी ही रखी जाए अपितु और भी अधिक राहत दी जाए । इन प्रतिनिधियों की सर्वसम्मत राय यह की कि विधेयक के उपबन्धों में प्रारम्भिक अवक्षयण की जो व्यस्था की गई है वह वहुत ही अपर्याप्त है और उससे कोई उपयोगी या व्यावहारिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

मैं न तो सरकारी विचारधारा को स्वीकार करता हूं और न ही बड़े उद्योपतियों की ओर से किए-गए साक्ष्य से प्रभावित हुआ हूं । कर की उच्च दर लगाकर तथाकथित हतोत्साहित के बावजूद भी, जैसे कि अभिकथित किया गया है, यह सर्वविदित है कि एकाधिकारी घरानों और बड़े औद्योगिक घरानों ने अपने काफी कारोबार का कई गुना विस्तार किया है और उनके संसाधनों और परिसम्पत्तियों में असाधारण वृद्धि हुई है । यह नहीं बताया गया कि तथाकथित प्रोत्साहन न देने के बाद भी उन्होंने इतना विस्तार या इतनी वृद्धि कैसे कर ली है । मेरा विचार है कि केवल करों में राहत देकर जैसा कि विधेयक में प्रस्ताव किया गया है, जिसे कुछ साक्षियों ने बहुत मामूली कहा है, गैर-सरकारी पूंजी को नये उद्योग शुरू करने के लिए राजी नहीं किया जा सकता । इसके लिए बहुत प्रभावशाली औद्योगिक नीति, एकाधिकार और बड़े व्यापारिक घरानों पर नियंत्रण और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । चूंकि विकास छुट समाप्त की जा रही है इसलिए यह विदित होता है कि विधेयक में प्रारम्भिक अवक्षयण प्रदान करने की व्यवस्था बड़े उद्योग और एकाधिकार घरानों की मुंहभराई के लिए की जा रही है । मेरा विचार है कि देश की वर्तमान स्थिति में और एकाधिकार और बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा किए गये कामों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें विकास छुट नहीं दी जानी चाहिए । तथापि मुझे इस बात की खुशी है कि समिति ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि प्रारम्भिक अवक्षयण के लिए अधिकारी उद्योगों में लघु उद्योगों को भी शामिल कर लिया गया है ।

अष्टम् अनुसूची में जो पिछड़े क्षेत्रों की सूची दी गई है वह सर्वांगपूर्ण नहीं है । इस सूची में पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन और 24-परगना जिले के बरासित सब-डिबीजन जैसे कई पिछड़े क्षेत्र शामिल नहीं है क्योंकि यह सूची जिलों को इकाई मानकर बनाई गई है । चूंकि योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों की सूची जिलावार बनाई है केवल इसी सिद्वान्त पर बिना सोचे समझे विधेयक में इस सूची को स्वीकार नहीं दिया जाना चाहिए था ।

सोमनाथ चटर्जी

नई दिल्ली;
29 अप्रैल, 1974

1973 का विधेयक सं० 75-क

[डाइरेक्ट टैक्सेस (अमेंडमेंट) बिल, 1973 का हिन्दी अनुवाद]

प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक 1973

(जैसा प्रवर समिति ने रिपोर्ट किया है)

(जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खिंची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गये संशोधन हैं। जहां तारक चिह्न है वहां लोप किया गया है)

आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए और तत्सम्बन्धी कुछ विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 है ।

अध्याय 2

आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन

धारा 10 का संशोधन।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 10 में,— 1961 का 43

(क) खण्ड (6) के उपखण्ड (vii क) के स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत में किसी मशीनरी या संयंत्र के डिजाइन, परिनिर्माण या प्रारम्भ करने के लिए या ऐसे डिजाइन, परिनिर्माण या प्रारम्भ करने से सम्बद्ध कार्यकलापों के अवीक्षण के लिए नियोजित है, इस उपखण्ड की मद (1) में विनिर्दिष्ट शर्त का अधित्यजन कर सकती है।";

(ख) खण्ड (15) में, उपखण्ड (iv) की मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी और 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

"(घ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, द्वारा स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निगम (जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है) द्वारा किन्हीं ऐसी धनराशियों पर संदेय हो जो उसने भारत के बाहर के स्रोतों से उधार ली हों, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है जो उधार और उसके प्रतिसंदाय के निबन्धनों को ध्यान में रखकर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित दर पर परिकलित हो ;

1948 का 15

1964 का 18

1913 का 7

(ङ) भारत में स्थापित किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा या किसी बैंककारी कम्पनी द्वारा जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अन्तर्गत वह बैंक या बैंककारी संस्था भी है जिसके प्रति उस अधिनियम की धारा 51 में निर्देश किया गया है) उन धनराशियों पर संदेय हो जो उसने भारत के बाहर के स्रोतों से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार-करार के अधीन उधार ली हों, जहां धनराशियां या तो भारत में औद्योगिक उपक्रमों को भारत के बाहर कच्चे माल या पूंजी संयंत्र और मशीनरी के क्रय के अथवा ऐसे माल के आयात के प्रयोजन के लिए जिसका आयात करना केन्द्रीय सरकार लोक हित में आवश्यक समझे, उधार ली हों, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है, जो उधार और उसके प्रतिसंदाय के निबन्धनों को ध्यान में रख कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित दर पर परिकलित हो।";

1949 का 10

(ग) खण्ड (17) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(17क) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य या योग्यता या खेल या क्रीड़ाओं में प्रवीणता के लिये पुरस्कार के अनुसरण में किए गए संदाय, चाहे नकदी में हों या वस्तु रूप में :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त अनुमोदन ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा (जिसके अन्तर्गत वह निर्धारण वर्ष या वे निर्धारण वर्ष भी हैं जो ऐसे अनुमोदन के अनुदत्त किये जाने को तारीख के पहले प्रारम्भ होते हैं) जो अनुमोदन अनुदत्त करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(17ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त लोक हित में अनुमोदित किया जाए, पारितोषिक के रूप में किया गया संदाय, चाहे नकदी में हो या वस्तु रूप में;"

3. आय-कर अधिनियम की धारा 32 में, 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन से,— धारा 32 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में खण्ड (V) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड और स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(Vi) 1974 की मई के 31वें दिन के पश्चात् अर्जित किसी नए पोत या नए वायुयान की दशा में ऐसे निर्धारिती द्वारा, जो पोत या वायुयान चलाने के कारबार में लगा हुआ है या उस तारीख के पश्चात् विद्युत् के या किसी अन्य रूप में शक्ति के उत्पादन या वितरण के कारबार के प्रयोजन के लिए या नवम् अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट चीजों या वस्तुओं में से एक या अधिक के सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए संस्थापित (कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यानों से भिन्न) नई मशनरी या संयंत्र की दशा में, उस तारीख के पश्चात् किन्हीं अन्य चीजों या वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजन के लिए किसी लघु औद्योगिक उपक्रम में स्थापित (कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यानों से भिन्न) नई मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पूर्व वर्ष की बाबत जिसमें पोत या वायुयान अर्जित किया जाता है या मशीनरी या संयंत्र ठीक बाद के पूर्व वर्ष में सर्वप्रथम उपयोग में लाया जाता है तो उस पूर्व वर्ष की बात उस पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र की निर्धारिती को वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर राशि; किन्तु ऐसी राशि खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अवलिखित मूल्य के अवधारण के लिए कटौती योग्य नहीं होगी :

परन्तु निर्धारिती, धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उस निर्धारण वर्ष की, जिसकी बाबत वह इस खण्ड के अधीन पहली बार कटौती का हकदार हुआ हो,

आय की विवरणी देने के लिये अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व, चाहे वह मूल रूप से नियत किया गया हो या बढ़ाया गया हो, आयकर अधिकारी को यह लिखित घोषणा दे सकेगा कि इस खण्ड के उपबन्ध उसको लागू नहीं होंगे, और यदि वह ऐसा कर देगा तो इस खण्ड के उपबन्ध उसको उस निर्धारण वर्ष के लिए और प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिये लागू नहीं होंगे, किन्तु ऐसा इस प्रकार होगा कि निर्धारिती धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी एसे पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व, चाहे वह मूल रूप से नियत किया गया हो या बढ़ाया गया हो, अपनी घोषणा को प्रतिसंहृत कर सकेगा और ऐसे प्रतिसंहरण पर, इस खण्ड के उपबन्ध निर्धारिती को, उस पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए और उसके बाद वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, लागू होंगे :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन निम्नलिखित की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी —

(क) किसी कार्यालय के परिसर या किसी निवास स्थान में, जिसके अन्तर्गत अतिथि-गृह के प्रकार का स्थान भी है, संस्थापित मशीनरी या संयंत्र, और

(ख) ऐसा पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र जिसकी बाबत, धारा 33 के अधीन विकास रिबेट के रूप में कटौती अनुज्ञेय है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए—

(1) "नया पोत" या "नया वायुयान" के अन्तर्गत ऐसा पोत या वायुयान है जो निर्धारिती द्वारा अर्जन की तारीख के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग में था किन्तु ऐसे अर्जन की तारीख के पहले किसी समय भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन नहीं था ;

(2) "नई मशीनरी या संयंत्र" के अन्तर्गत ऐसी मशीनरी या संयंत्र है जो निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन के पूर्व भारत से बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग में था यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन की तारीख के पूर्व किसी समय ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत में उपयोग नहीं किया गया था ;

(ख) एसी मशीनरी या संयंत्र भारत में * * * भारत से बाहर किसी देश से आयात किया गया है ; और

(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अवक्षय के कारण कोई कटौती भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की निर्धारिती द्वारा उस मशीनरी या संयंत्र के संस्थापन की तारीख से पूर्व किसी 1922 का 11

कालावधि के लिए कुल आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ;" ;

(3) किसी औद्योगिक उपक्रम को तब लघु औद्योगिक उपक्रम समझा जाएगा जबकि उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए संस्थापित मशीनरी और संयंत्र का पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन सकल मूल्य सात लाख पचास हजार रुपए से अधिक न हो ; और इस प्रयोजन के लिए मशीनरी का संयंत्र का मूल्य,—

(क) निर्धारिती के स्वामित्वाधीन मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उस पर निर्धारिती की वास्तविक लागत होगा ; और

(ख) निर्धारिती द्वारा किराए पर ली गई मशीनरी या संयंत्र की दशा में, उसकी वह वास्तविक लागत होगा जो उस मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की दशा में होता । ;

(ख) उपधारा (2) में "या खण्ड (V)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् "या खण्ड (VI)" शब्द, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. आय कर अधिनियम की धारा 34 को, उपधारा (2) के खण्ड (ii) में "या खण्ड (iv)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् "या खण्ड (V) या खण्ड (Vi)" शब्द, कोष्ठक और अंक 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।" । — धारा 34 का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में,— — धारा 35 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के खण्ड (i) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—जहां ऐसा कोई व्यय कारबार के प्रारम्भ होने के पूर्व (जो 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से पहले नियत या किया गया व्यय नहीं है) ऐसे वैज्ञानिक अनुसन्धान में लगे हुए कर्मचारी को वेतन के संदाय में [धारा 40क की उपधारा (5) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित] या ऐसे वैज्ञानिक अनुसन्धान में उपयोग की जाने वाली सामग्री के क्रय पर नियत, या किया गया, है वहां, उस कारबार के प्रारम्भ के ठीक पहले के तीन वर्ष के भीतर इस प्रकार किया गया कुल व्यय, उस विस्तार तक जहां तक विहित प्राधिकारी उसे ऐसे वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किया गया व्यय प्रमाणित करता है, उस पूर्व वर्ष में नियत, या किया गया, व्यय समझा जाएगा जिसमें कारबार प्रारम्भ होता है ;" ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (iv) में, "और (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "(iii) और (vi)" कोष्ठक, अंक और शब्द 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन से रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां निर्धारिती उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी वैज्ञानिक अनुसन्धान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को ऐसे * * * वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन हाथ में लिया गया हो प्रयुक्त किए जाने के लिए कोई राशि संदत्त करता है वहां,—

(क) इस प्रकार संदत्त राशि के एक सही एक बटा तीन के बराबर राशि कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ; और

(ख) उसी निर्धारण वर्ष या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन ऐसी राशि की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।" ।

* * * * * *

धारा 35ख का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 35ख की उपधारा (1) के खंड (क) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु किसी देशी कम्पनी द्वारा, जो ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है 1973 की फरवरी के 28वें दिन के पश्चात् उपगत व्यय की बाबत, इस खण्ड के उपबन्धों का इस प्रकार प्रभाव होगा मानों "एक सही एक बटा तीन" शब्दों के स्थान पर "एक सही एक बटा दो" शब्द रखे गए हैं ।" ।

धारा 40क का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (5) के खंड (क) के उपखंड (i) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां व्यय कारबार के प्रारम्भ के ठीक पहले के तीन वर्षों में से एक या अधिक के दौरान वैज्ञानिक अनुसन्धान में लगे हुए किसी कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी को वेतन के संदाय में उपगत किया जाता है और ऐसा व्यय धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण के अधीन उस पूर्व वर्ष में नियत, या किया गया, व्यय समझा जाता है जिसमें कारबार प्रारम्भ किया गया था वहां उस पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में जिसमें कारबार प्रारम्भ किया जाता है, इस उपखंड में निर्दिष्ट सीमा वह रकम होगी जो जिस पूर्व वर्ष में ऐसा कारबार प्रारम्भ किया जाता है, उसके दौरान भारत में उसके नियोजन की कालावधि में और भारत में उसके नियोजन की कालावधि में जिसमें उस पूर्व वर्ष के ठीक पहले के तीन वर्ष के दौरान वह वैज्ञानिक अनुसन्धान में लगा हुआ था, अन्तर्विष्ट प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए पांच हज़ार रुपए की दर से प्राक्कलित की जाएगी ।" ।

धारा 80क का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 80क की उपधारा (3) में, "धारा 80ज" शब्द अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 80ज या धारा 80जज" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से रखे गए समझे जाएंगे ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 80ज के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 80जज का अन्तःस्थापन ।

"80जज. (1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम में, या होटल के कारबार से जिसको यह धारा लागू होती है व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ भी हैं वहां, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और अधीन निर्धारिती की कुल आय की संगणना में, ऐसे लाभ और अभिलाभ की रकम के बीस प्रतिशत के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी । पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती ।

(2) यह धारा ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(i) वह * * * पिछड़े क्षेत्र में 1970 के दिसम्बर के 31वें दिन के पश्चात् वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ करता है या कर चुका है ;

(ii) वह किसी पिछड़े क्षेत्र में पहले से विद्यमान किसी कारबार को खण्डित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परन्तु यह शर्त उस औद्योगिक उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा जैसा धारा 33ख में निर्दिष्ट है उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और कालावधि के अन्दर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनः चालन के फलस्वरूप बना है ;

(iii) वह किसी पिछड़े क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अन्तरण करके नहीं बना है ;

(iv) वह शक्ति की सहायता से चलाई जाने वाली निर्माण प्रक्रिया में दस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है या शक्ति की सहायता के बिना चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में बीस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है ।

* * *

स्पष्टीकरण:—जहां किसी पिछड़े क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त कोई मशीनरी संयंत्र या उसका कोई भाग उस क्षेत्र में या किसी अन्य पिछड़े क्षेत्र में किसी नए कारबार को अन्तरित किया जाता है और इस प्रकार अन्तरित मशीनरी या संयंत्र या भाग का कुल मूल्य ऐसे किसी कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य से बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो इस उपधारा के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हो गई है ।

(3) यह धारा होटल के कारबार को लागू होती है जहां निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात्:—

(i) होटल का कारबार * * * पिछड़े क्षेत्र में 1970 के दिसम्बर के 31वें दिन के पश्चात् आरम्भ होता है या हो चुका है ;

(ii) होटल का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को खण्डित या पुनर्गठित करके नहीं बना है ;

(iii) वह होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है ।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती उस पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होने वाले दस निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक की बाबत उसकी आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी, जिसमें वह औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ करता है या कर चुका है या होटल का कारबार आरम्भ हो गया है ;

परन्तु––

(i) ऐसे औद्योगिक उपक्रम की दशा में जिसने वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन प्रारम्भ ; और

(ii) ऐसे होटल के कारबार की दशा में जिसने कार्य आरम्भ, 1970 के दिसम्बर के 31वें दिन के पश्चात् किन्तु 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन के पहले किया है वहां इस उपधारा का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो दस निर्धारण वर्षों के प्रति निर्देश उतने निर्धारण वर्षों के प्रति निर्देश हैं जो 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन समाप्त हुए निर्धारण वर्षों की संख्या को दस निर्धारण वर्षों में से घटाने पर आएं ।

(5) जहां निर्धारिती कम्पनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति है वहां, उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया हो उस निर्धारण वर्ष से संगणित पूर्व वर्ष के लिए उस औद्योगिक उपक्रम के या होटल के कारबार के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यकतः और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट नहीं देता है ।

(6) जहां किसी औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के प्रयोजन के लिए धारित माल निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले किसी अन्य कारबार को अन्तरित किए जाते हैं या जहां निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले अन्य कारबार के प्रयोजन के लिए धारित माल उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार को अन्तरित किए जाते हैं और दोनों दशाओं में ऐसे अन्तरण के लिए उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के लेखों में अभिलिखित प्रतिफल, यदि कोई हो, अन्तरण की तारीख को माल के बाजार मूल्य के बराबर नहीं है तो इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए, उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानों अन्तरण, दोनों दशाओं में, उस तारीख को माल के बाजार मूल्य पर किया गया है :

परन्तु जहां आय-कर अधिकारी की राय में इस में इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रीति में औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना से अत्यधिक कठिनाइयां होती है वहां, आय-कर अधिकारी लाभ और अभिलाभ की संगणना ऐसे उचित आधार पर करेगा जो वह ठीक समझे ।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा में "बाजार मूल्य" से माल के सम्बन्ध में वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल के लिए खुले बाजार में विक्रय पर प्राप्त होगी ।

(7) जहां आय-कर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उस औद्योगिक उपक्रम या होटल का जिसको यह धारा लागू होती है, कारबार चलाने वाले

निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के निकट सम्बन्ध, या किसी अन्य कारणवश, उनके बीच कारबार की इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि उनके बीच उस कारबार से निर्धारिती को उस सामान्य लाभ से जो उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में उद्भूत होने की आशा की जा सकती है, अधिक लाभ होता है तो आय-कर अधिकारी, इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में लाभ की उतनी रकम लेगा जो उस से उचित रूप से व्युत्पन्न समझी जा सकती है।

(8) ऐसी दशा में जहां निर्धारिती ऐसे औद्योगिक उपक्रम के जिसको यह धारा लागू होती है, लाभ और अभिलाभ सम्बन्ध में धारा 80ज के अधीन भी कटौती का हकदार है वहां, उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे लाभ और अभिलाभ के सम्बन्ध में धारा 80ज के अधीन कटौती को घटा कर प्राप्त लाभ और अभिलाभ की रकम के प्रति निर्देश से अनुज्ञात की जाएगी।

(9) ऐसी दशा में जहां निर्धारिती किसी औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के जिसको यह धारा लागू होती है, लाभ और अभिलाभ के सम्बन्ध में धारा 80ञ के अधीन कटौती का भी हकदार है वहां पहले इस धारा के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाएगा।

(10) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात पोत के सन्निर्माण या खनन में लगे हुए किसी उपक्रम के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।'।

स्पष्टीकरण---इस धारा में "पिछड़े क्षेत्र" से अष्टम अनुसूची की सूची में निर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है।"।

धारा 80ञ का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 80ञ में * * * *,—

(क) उपधारा (1) में "(जैसे वे धारा 80ज के अधीन निर्धारिती को अनुज्ञेय कटौतियों के, यदि कोई हों, योग को घटा कर आए)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर (जैसे वे धारा 80ज और धारा 80जज के अधीन निर्धारिती को अनुज्ञेय कटौतियों के, यदि कोई हों, योग को घटा कर आयें)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे। और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "धारा 80ज" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 80ज, धारा 80जज" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 80त का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 80त की उपधारा (3) में 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से,—

(क) "धारा 80ज या धारा 80ञ" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर "धारा 80ज या धारा 80जज या धारा 80ञ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) "धारा 80ज और धारा 80ञ" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 80ज, धारा 80जज और धारा 80ञ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 80थथ का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 80थथ की उपधारा (2) में * * * *,—

(क) "धारा 80ज या धारा 80ञ" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 80ज या धारा 80जज या धारा 80ञ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से रखे गये समझे जाएंगे।

(ख) धारा 80ज और 80ञ, 80त" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 80ज, धारा 80ञ, धारा 80ञ, और धारा 80त" शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1974 के अप्रैल से प्रथम दिन से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 271 का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 271 में उपधारा (1) के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा और सदैव से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

(i) खण्ड (क) में निर्दिष्ट दशाओं में उसके द्वारा संदेय कर की रकम के, यदि कोई हो, अतिरिक्त ऐसी राशि जो हर मास के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम बना रहा है, निर्धारित कर के दो प्रतिशत के बराबर है किन्तु कुल मिलाकर निर्धारित कर के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं है ;

स्पष्टीकरण– इस खण्ड में "निर्धारित कर" से ऐसा कर अभिप्रेत है जिसमें से अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कटौती की गई राशि, यदि कोई हों, या अध्याय 17ग के अधीन अग्रिम संदत्त राशि घटा दी गई है।"

धारा 295 का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 295 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों को या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है और, जब तक अभिव्यक्तः या आवश्यक विवक्षा द्वारा इसके प्रतिकूल अनुज्ञात न किया जाए तब तक किसी नियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वोत्तर किसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा।"

अष्टम् अनुसूची का अन्तस्थापना।

15. आय-कर अधिनियम में सप्तम् अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी और 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से अन्तःस्थापित की गई समझी जाएगी अर्थात्–

"अष्टम् अनुसूची

(धारा 80जज देखिए)

पिछड़े क्षेत्रों की सूची

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पिछड़े क्षेत्र
(1)	(2)
	अनन्तपुर चित्तर, कुड्डपा, करीमनगर, खम्माम, कूरनूल, महबूबनगर, मेडक, नैलगोंडा, नैल्लोर, निजामाबाद, ओंगले, श्रीकाकुलम्, और वारंगल, जिले।

(1)	(2)
आसाम	कछार, गोआलपाड़ा, कामरूप, लखीमपुर, मिकिर हिल्स, नये कचार हिल, और नौगौंग जिले।
बिहार	भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फरपुर, पालामऊ, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, संथाल परगना और सारन, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली, और पश्चिमी चम्पारन जिले।
गुजरात	अमरेली, बनासकांठा, भारूच, भावनगर, भडौच, जूनागढ़, कच्छ, महसाना, पंचमहल, साबरकांठा और सुरेन्द्रनगर जिले।
हरियाणा	भिवानी, हिसार, जींद और महेन्द्रगढ़ जिले
हिमाचल प्रदेश	चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और लाहुल स्पिति, सिरमूर, सोलन, और ऊना जिले।
जम्मू-कश्मीर	अनन्तनाग, बारामूला, डोडा, जम्मू, कठुआ लद्दाख, पूंछ, राजौरी, श्रीनगर, और ऊधमपुर जिले।
कर्नाटक	बेलगांव, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर, दक्षिणी कनारा और तुमकुर जिले।
केरल	अलेप्पी, कन्नानोर, मालापुरम, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम जिले।
मध्य प्रदेश	बालाघाट, बरतर, बैतूल, बिलासपुर, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाडा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, होशंगाबाद, झबुआ, खरगोन, मंडला, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़, राजनांदगांव, रतलाम, रीवां, सागर, सिहार, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सरगुजा, टीकमगढ़ और विदिशा जिले।
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, भण्डारा, भीर, बुलढाना, चंद्रपुर, धुलिया और जलगांव जिले भारत सरकार द्वारा जारी कि गई अधिसूचना सं०आर०पी०बी० 1173-1-आर० पी० सी०, तारीख 16 अगस्त, 1973 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना

(1)	(2)
	सं० आर० पी० बी 1171–18124–आई० डब्लू० तारीख 20 मार्च, 1971 में, जो महाराष्ट्र सरकार (नगर विकास, लोक स्वास्थ्य और आवास विभाग) द्वारा महाराष्ट्र रिजनल एण्ड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 (1966 का महाराष्ट्र अधिनियम सं० 37) की धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई है, प्रस्तावित नए मुम्बई नगर के स्थल के रूप में अभिहित क्षेत्र में समाविष्ट प्रभाग को छोड़कर कोलाबा जिला नान्देड, उस्मानाबाद, परभनी रत्नागिरी और यवतमाल जिले ।
मणिपुर	सम्पूर्ण राज्य ।
मेघालय	गारो हिल्स, जयन्तिया हिल्स और खासी हिल्स जिले ।
* *	* *
नागालैण्ड	सम्पूर्ण राज्य ।
उड़ीसा	बालासोर, बोलंगीर, ढेंकानल, कालाहण्डी, केओंझर, कोरापुट, मयूरभंज और फुलबनी जिले ।
पंजाब	भटिण्डा जिला, फरीदकोट जिले का इतना भाग जो 31 जुलाई, 1972 को भटिण्डा जिले का हिस्सा था, गुरदासपुर, होशियारपुर और संगरूर जिले ।
राजस्थान	अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुनझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिले ।
तमिलनाडु	धर्मपुरी, कन्याकुमारी, मदुरई, नार्थ अर्काट, रामनाथपुरम्, साउथ अर्काट, तंजौर और तिरुचिरापल्ली जिले ।
त्रिपुरा	सम्पूर्ण राज्य ।
उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल

(1)	(2)
	गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव और उत्तरकाशी जिले ।
पश्चिमी बंगाल	बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान, कूचविहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नादिया, पुरुलिया और पश्चिमी दीनाजपुर जिले ।
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र ।
अरुणाचल प्रदेश	सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र ।
दादरा और नागर हवेली	सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र ।
गोवा, दमण और दीव	सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र ।
लक्षद्वीप	सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र ।
मिजोराम	सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र ।
पांडिचेरी	सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र ।

स्पष्टीकरण––जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, इस अनुसूची में किसी जिले के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस जिले में 3 सितम्बर, 1973 को, जो प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को लोक सभा में पुरः स्थापित करने की तारीख है, समाविष्ट क्षेत्रों के प्रति निर्देश है ।"

नवम अनुसूची का अन्तःस्थापन

16. आय-कर अधिनियम में, अन्त में, 1975 की अप्रैल के प्रथम दिन से, निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी:––

नवम अनुसूची

[धारा 32(i) (vi) देखिए]

वस्तुओं या चीजों की सूची

1. लौह और इस्पात (धातु) ।
2. अलौह धातुएं ।
3. लौह मिश्रधातु और विशेष इस्पात ।
4. इस्पात की ढलाई और फोर्ज तथा धातवर्धनीय लौह और इस्पात की ढलाई
5. ऊष्मीय और जल शक्ति उत्पादन उपस्कर ।
6. परिणामित्र और स्विच गियर ।
7. विद्युत् मोटरें ।
8. औद्योगिक और कृषि मशीनरी ।
9. मिट्टी हटाने की मशीनरी ।

10. मशीन औज़ार ।

11. उर्वरक, अर्थात् अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट (दोहरा लवण,) अमोनियम नाइट्रेट, कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट (नाइट्रोलाइम स्टोन), अमोनियम क्लोराइड, सुपर सल्फेट, यूरिया तथा संश्लिष्ट मूल के सम्मिश्रित उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही हों, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट फास्फेट और अमोनियम नाइट्रो फास्फेट ।

12. सोडाक्षार ।

13. कास्टिक सोडा ।

14. वाणिज्यिक यान ।

15. पोत ।

16. वायुयान ।

17. टायर और ट्यूब ।

18. कागज, लुगदी और अखबारी कागज ।

19. चीनी ।

20. वनस्पति तेल ।

21. टेक्सटाइल (जिसमें रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत टेक्सटाइल सम्मिलित हैं), जो पूर्णत: या मुख्यत: रुई से बने हुए हों जिसमें रुई का सूत, हौजरी और रस्सा सम्मिलित है,

22. टेक्सटाइल (जिसमें रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत टेक्सटाइल सम्मिलित हैं), जो पूर्णत: या मुख्यत: जूट से बने हुए हों जिसमें जूट सुतली और जूट का रस्सा सम्मिलित है,

23. सीमेंट और उच्च तापसह ।" ।

अध्याय 3

धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन

धारा 46 का संशोधन

17. धन-कर अधिनियम, 1957 की (जिसे इसमें इसके पश्चात धन-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 46 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— (1957 का 27)

"(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों को या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है और जब तक (अभिव्यक्तत: या आवश्यक विवक्षा द्वारा) इसके प्रतिकूल अनुज्ञात न किया जाए तब तक किसी नियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर किसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा।"।

अध्याय 4

दान-कर अधिनियम, 1958 का संशोधन

धारा 17 का संशोधन।

18. दान-कर अधिनियम, 1958 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् दान-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के (1958 का 18)

स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा और 1963 के अप्रैल के प्रथम दिन से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) खण्ड (क) में निर्दिष्ट दशाओं में उसके द्वारा संदेय दान-कर की रकम के, यदि कोई हो, अतिरिक्त ऐसी राशि जो हर मास के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम बना रहा है, निर्धारित कर के दो प्रतिशत के बराबर है, किन्तु कुल मिलाकर निर्धारित कर के पचास से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में, "निर्धारित कर" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रभार्य ऐसा दान-कर अभिप्रेत है जिसमें से वह राशि, यदि कोई हो, घटा दी गई है जिसके लिए धारा 18 के अधीन प्रत्यय दिया जाता है;"।

धारा 46 का संशोधन।

19. दान-कर अधिनियम की धारा 46 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात् :—

"(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों को या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है और जब तक (अभिव्यक्ततः या आवश्यक विवक्षा द्वारा) इसके प्रतिकूल अनुज्ञात न किया जाए तब तक किसी नियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर किसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा।"।

अध्याय 5

कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का संशोधन

1964 का 7

धारा 9 का संशोधन।

20. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की [जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम कहा गया है] धारा 9 के खण्ड (क) में "संदेय अतिकर" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संदेय अतिकर" शब्द रखे जाएंगे और सदैव से रखे गये समझे जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन।

21. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों को या उन में किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है और जब तक (अभिव्यक्ततः या आवश्यक विवक्षा द्वारा) इसके प्रतिकूल अनुज्ञात न किया जाए तब तक किसी नियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर किसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा।"।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

कुछ दशाओं में धारा 3 का लागू न होना ।

22. जहां, किसी निर्धारिती के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की तारीख के पूर्व आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के सम्बन्ध में अपील में किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए यह निर्धारित किया है कि उक्त खण्ड में "उसके द्वारा संदेय कर की रकम के, यदि कोई हो" पद का यह अर्थान्वयन किया जाएगा कि इसमें कर की उस रकम के प्रति निर्देश है जो उस अधिनियम की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के अधीन उसके द्वारा संदेय है जो निर्धारण आदेश के अनुसरण में दी गई है, और इस अधिनियम की धारा 13 की कोई बात ऐसे निर्धारिती के मामले में उस विशिष्ट वर्ष के लिए शास्ति के आदेश के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी और यह समझा जाएगा कि वह कभी भी लागू नहीं हुई थी ।

धन-कर अधिनियम की धारा 18(1) (i) के, जैसा वह एक निश्चित कालावधि के दौरान था, प्रभाव के बारे में विशेष उपबन्ध ।

23. धन-कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (i) का, जैसा कि वह एक अप्रैल, 1965 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान था, यह प्रभाव होगा और यह समझा जाएगा, कि उसका सदैव से ही ऐसा प्रभाव था मानो उसमें आने वाले शब्द "कर" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रभार्य धन-कर अभिप्रेत है ।

दान-कर अधिनियम की धारा 17 (1) (i) के, जैसा वह एक निश्चित कालावधि के दौरान था, प्रभाव के बारे में विशेष उपबन्ध ।

24. दान-कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (i) का जैसा वह अप्रैल, 1963 के पहले था, यह प्रभाव होगा और यह समझा जाएगा कि उसका सदैव से ही ऐसा प्रभाव था मानों उसमें आने वाले "ऐसा कर" शब्दों से उस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रभार्य ऐसा दान-कर अभिप्रेत है जिसमें से वह रकम, यदि कोई हो, घटा दी गई है जिस लिए उस अधिनियम की धारा 18 के अधीन प्रत्यय अनुज्ञात किया जाता है ।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए और तत्सम्बन्धी कुछ विषयों के लिए उपलब्ध करने के लिए विधेयक प्रवर समिति को इन अनुदेशों के साथ सौंपा जाए कि वह अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे, प्रवर समिति में 30 सदस्य हों, अर्थात्

(1) श्री भागवत झा आजाद
(2) श्री ओंकार लाल बेरवा
(3) श्री रघुनंदन लाल भाटिया
(4) श्री एस० भीष्मदेव
(5) श्री जी० भुवाराहन
(6) श्री नरेन्द्र सिह बिष्ट
(7) श्री सोम नाथ चटर्जी
(8) श्री यशवन्तराव चव्हाण
(9) श्री एस० आर० दामाणी
(10) श्री बी० के० दासचौधरी
(11) श्री डी० डी० देसाई
(12) श्रीमती एम० गौडफ्रे
(13) श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
(14) श्री समर गुह
(15) श्री श्याम सुन्दर महापात्र
(16) श्री कार्तिक उरांव
(17) श्री डी० के० पंडा
(18) श्री एच० एम० पटेल
(19) श्री रामजी राम
(20) श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
(21) श्री नरेन्द्र कुमार सांघी
(22) श्री बसन्त साठे
(23) श्रीमति सावित्री श्याम
(24) श्री इरा सेझियान
(25) श्री सी० के० जाफर शरीफ
(26) श्री शिव कुमार शास्त्री
(27) श्री सोमचन्द सोंलकी
(28) श्री एम० सुदर्शनम्
(29) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्, और
(30) श्री के० आर० गणेश"

परिशिष्ट दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 5)

एसोसियेशनों, संगठनों आदि की सूची जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन/ अभ्यावेदन/टिप्पण आदि प्राप्त हुए

1. कमानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, कमानी चैम्बर्स नाइकोल रोड, बैलार्ड एस्टेट, बम्बई ।
2. फैडरेशन आफ इण्डिया मिनरल इण्डस्ट्रीज, 7, साउथ एक्स्टैंशन पार्ट–1, नई दिल्ली ।
3. फैडरेशन आफ इण्डियान चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, फैडरेशन हाउस , नई दिल्ली ।
4. बम्बई चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मैकिनोन मैकेन्जी बिल्डिंग, बैलार्ड एस्टेट, बम्बई ।
5. सूरत आर्ट सिल्क क्लाथ मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन, "रेशम भवन", लाल दरवाजा, सूरत ।
6. सदर्न गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, "समृद्धि" नानपुरा, सूरत ।
7. पंजाब, हरियाणा एण्ड दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, फैल्पस बिल्डिंग, 9-ए, कनाट प्लेस. नई दिल्ली ।
8. गोआ चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, पणजी, गोआ ।
9. मध्य प्रदेश चैम्बर, आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, चैम्बर भवन, ग्वालियर ।
10. अपर इण्डिया चैम्बर आफ कामर्स, 14/69 सिविल लाइन्स, कानपुर ।
11. श्री एस० एस० कोठारी, भूतपूर्व संसद सदस्य, इण्डिया स्टीमशिप हाउस, 21 ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता ।
12. मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, दारे हाऊस एनेक्सी, 3/4, मूर स्ट्रीट, मद्रास ।
13. इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन, एल्फिस्टन बिल्डिंग, 10, वीर नारिमन रोड़ , फोर्ट, बम्बई ।
14. दिल्ली फैक्टरी ओनर्स फैडरेशन, फैल्प्स बिल्डिंग 9–ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।
15. इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर, लालजी नारानजी मैमोरियल, इण्डियन मर्चेन्टस चैम्बर, बिल्डिंग, 76 वीर नारिमन रोड, चर्च गेट, बम्बई ।
16. विदर्भ चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मंगलदास मार्केट, अकोला ।
17. इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स, इण्डिया एक्सचैंज, इण्डिया एक्सचैंज प्लेस, कलकत्ता ।
18. मैसर्स राजाराम बन्दोकर (श्रीगाव) माइन्स, वास्कोडीगामा, गोआ ।
19. इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ इण्डिया, इण्डिया एक्सचैंज, नौवीं मंजिल, कलकत्ता ।
20. हिन्दुस्तान चैम्बर आफ कामर्स, हिन्दुस्तान चैम्बर बिल्डिंग्स नं० 8, कोण्डिचेट्टी स्ट्रीट, मद्रास ।
21. इंस्टिट्यूट आफ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स आफ इण्डिया, 72ए बालेपेट, बंगलौर ।
22. बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, रायल एक्सचैंज, 6, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।
23. श्री ए० ए० पालकीवाला, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया, टाटाहाउस , फोर्ट, बम्बई ।
24. सदर्न इण्डिया मिल ओनर्स एसोसियेशन, "षण्मुख मनराम" रेसकोर्स, कोयम्बतूर ।
25. एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इन्डिया, तीसरी मंजिल, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17, पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली ।
26. फैडरेशन आफ होस्टल एण्ड रैस्टोरैंट एसोसियेशन्स आफ इण्डिया , 15–ए, निजामुद्दीन वैस्ट, नई दिल्ली ।
27. आल इण्डिया बीड़ी इण्डस्ट्री फेडरेशन, 12 रैम्पार्ट रो, फोर्ट, बम्बई ।
28. श्री बृजमोहन दास नागौरी, नागौरी भवन, ग्वालियर ।
29. पैस्टिसाइड्स एसोसियेशन आफ इण्डिया, 20 रिंग रोड लाजपतनगर-चार, नई दिल्ली ।
30. इण्डियन रिफैक्ट्री मैकर्स एसोसियेशन, रायल एक्सचेंज, 5 नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता ।
31. दि टैक्स्टाइल प्रोसेसर्स एसोसियेशन, 414, सेनापति बापत मार्ग, बम्बई ।

32. श्री बाबू भाई एम० चिनाय, संसद् सदस्य, तीसरी मंजिल, पी० एन० बी० हाउस, सर पी० एम० रोड, बम्बई।
33. बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, पी–11, मिशन रो एक्स्टेंशन, कलकत्ता।
34. कंसलटेटिव कमेटी आफ प्लांटेशन एसोसियेशन, रायल एकसचेंज, 5, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता।
35. वित्त विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर।

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 6)

एसोसियेशनों, संगठनों आदि की सूची जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया ।

क्रमांक	एसोसियेशन/संगठन आदि का नाम	साक्ष्य की तारीख
1	2	3
1.	फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली प्रवक्ता:–– 1. श्री चरत राम — अध्यक्ष 2. श्री ए० के० जैन — चेयरमैन, कराधान उप-समिति 3. श्री हरिशंकर सिधानिया 4. श्री ओ० पी० वैश्य 5. श्री जी० एल० बंसल ––सेक्रेट्री जनरल	17.1.1974
2.	श्री एन० ए० पालकीवाला, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया, बम्बई ।	19.1.1974
3.	एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया , नई दिल्ली । प्रवक्ता:– 1. श्री एम० एच० मोदी 3. श्री के० सी० खन्ना 3. श्री आर एन० रत्नम् 4. श्री एम० एम० मल्होत्रा	19.1.1974
4.	1. श्री बी० डी० पाण्डे, मंत्री मण्डलीय सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली । 2. श्री एम० आर० यार्डी, वित्त सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली । 3. श्री एम० जी० कौल, सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । 4. श्री एच० एन० रे सचिव(व्यय विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । 5. श्री आर० वी० रामन, सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । 6. श्री बी० बी० लाल, सचिव, योजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	19.1.1974

परिशिष्ट चार

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 1973 को 10.00 बजे से 11.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री एम० भीष्मदेव
3. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री यशवन्तराव चव्हाण
6. श्री बी० के० दास चौधरी
7. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
8. श्री एच० एम० पटेल
9. श्री वसन्त साठे
10. श्री इरा सेझियान
11. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री, **संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**

वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० ई० जानसन, **सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।**
2. श्री आर० आर० खोसला, निदेशक

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—**उप-सचिव**

2. प्रारम्भ में सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और प्रस्तावित विधायी कार्य के आशय का उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि समिति के समक्ष जो कार्य है वह कितना महत्वपूर्ण है और इसको शीघ्र निपटाया जाना चाहिये।

3. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम के विषय में विचार किया समिति ने निश्चय किया कि सोमवार 31, दिसम्बर, 1973 तक राज्य सरकारों, वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों, व्यापार संगठनों तथा अन्य संस्थाओं तथा विधेयक की विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले सभी अन्य व्यक्तियों से लिखित ज्ञापन आमन्त्रित किये जायें। समिति ने निश्चय किया कि ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये अवधि न बढ़ाई जाये। समिति ने निमित्त एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करने का फैसला किया।

4. समिति ने निम्नलिखित भारत सरकार के अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए नई दिल्ली में 17 से 19 जनवरी, 1974 तक अपनी बैठकें आयोजित करने का भी निश्चय किया :—

(एक) मन्त्रिमण्डल सचिव ।

(दो) सचिव, औद्योगिक विकास मन्त्रालय ।

(तीन) वित्त सचिव ।

(चार) सचिव, वित्त मन्त्रालय, राजस्व तथा बीमा विभाग ।

(पांच) सचिव, योजना मन्त्रालय ।

(छः) सचिव, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ।

(सात) चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

(आठ) भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एन० ए० पालखीवाला ।

समिति ने यह बात सभापति के ऊपर छोड़ दी कि वे जिस किसी भी अन्य व्यक्ति को ठीक समझें, उसको साक्ष्य देने के लिये आमन्त्रित करें।

5. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के विभिन्न चरणों पर निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विचार करने का निश्चय किया :

(एक) विधेयक पर खण्डवार विचार	4 तथा 5 फरवरी, 1974
(दो) प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार तथा उसको स्वीकृत करना	18 फरवरी, 1974 (अपरान्ह)
(तीन) सदस्यों ने विमति टिप्पण, यदि कोई हों	20 फरवरी, 1974
(चार) प्रतिवेदन का सभा में प्रस्तुत किया जाना	21 फरवरी, 1974

6. समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि वित्त मन्त्रालय विधेयक के उपबन्धों के विषय में लोकसभा में विभिन्न सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों पर विचार करे और लोक सभा सचिवालय को शीघ्र तत्सम्बन्धी तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करे।

7. समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि वित्त मन्त्रालय समिति के पास आने वाले विभिन्न ज्ञापनों को सारणीबद्ध करे और उनके सम्बन्धों में अपनी टिप्पणियां लोक-सभा सचिवालय को प्रस्तुत करे, ताकि उनको समिति के सदस्यों में परिचालित किया जा सके।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 17 जनवरी, 1974 को 10.20 से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री भागवत झा आजाद
3. श्री ओंकार लाल बेरवा
4. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
5. श्री एम० भीष्मदेव
6. श्री जी० भुवाराहन

7. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
8. श्री एस० ग्रार० दामाणी
9. श्री वी० के० दासचौधरी
10. श्री डी० डी० देसाई
11. श्रीमती एम० गौडफ्रे
12. श्री समर गुह
13. श्री रामजी राम
14. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी
15. श्री वसन्त साठे
16. श्रीमती सावित्री श्याम
17. श्री इरा सेझियान
18. श्री शिव कुमार शास्त्री
19. श्री सोमचन्द सोलंकी
20. श्री एम० सुदर्शनम्
21. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
22. श्री के० ग्रार० गणेश

विधायी परामर्शदाता

1. श्री ग्रार० वी० एस० पेरि-शास्त्री –**संयुक्त सचिव ग्रौर विधायी परामर्शदाता**
2. श्री वी० एस० भाष्यम् –**उप-विधायी परामर्शदाता**

वित्त मंत्रालय [राजस्व ग्रौर बीमा विभाग] के प्रतिनिधि

1. श्री ग्रार० डी० शाह–**चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड**
2. श्री के० ई० जौनसन –**सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**
3. श्री ग्रार० ग्रार० खोसला–**निदेशक**
4. श्री ग्रो० पी० भारद्वाज–**उप-सचिव**
5. श्री वी० पी० मनोचा–**ग्रवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे––**उप-सचिव**

2. समिति द्वारा फेडरेशन ग्रॉफ इंडियन चेम्बर्स ग्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, नई दिल्ली के निम्नलिखित––प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनने से पहले सभापति ने उनका ध्यान ग्रध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेशों के निदेश 58 की ग्रोर दिलाया :–––

1. श्री चरत राम
2. श्री ए० के० जैन
3. श्री हरिशंकर सिंघानिया
4. श्री ग्रो० पी० वैश्य
5. श्री जी० एल० बंसल

3. समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का शब्दशः* रिकार्ड रखा गया। साक्ष्य 12.15 बजे तक चलता रहा।

4. उसके बाद एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए :—

1. श्री एम० एच० मोदी
2. श्री के० सी० खन्ना
3. श्री आर० एन० रत्नम्
4. श्री एम० एम० मल्होत्रा

चूंकि एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया, अतः सभापति महोदय ने कहा कि पहले वह अपना ज्ञापन प्रस्तुत करें। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि वे अपने ज्ञापन की प्रतियां 18 जनवरी, 1974 तक लोक-सभा सचिवालय को भेज देंगे। उसके बाद समिति ने यह निश्चय किया कि चेम्बर शनिवार, 19 जनवरी, 1974 को 12.30 बजे समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत हो।

5. अन्त में समिति ने यह निश्चय किया कि 18 और 19 जनवरी, 1974 को उनकी बैठक 10.00 बजे के स्थान पर 10.30 बजे हो।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 18 जनवरी, 1974 को 10.30 बजे से 11.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एन० के० पी० साल्वे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री ओंकार लाल बेरवा
3. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
4. श्री एम० भीष्मदेव
5. श्री जी० भुवाराहन
6. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
7. श्री सोमनाथ चटर्जी
8. श्री एस० आर० दामाणी
9. श्री बी० के० दासचोधरी
10. श्री कार्तिक उरांव
11. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी
12. श्री वसन्त साठे
13. श्री इरा सेझियान
14. श्री एम० सुदर्शनम्
15. श्री के० आर० गणेश

---

* अलग से भेजा जा रहा है।

विधायी सलाहकार

1. श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री--संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

2. श्री बी० एस० भाष्यम्--उप-विधायी सलाहकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग के प्रतिनिधि)

1. श्री आर० डी० शाह, चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड
2. श्री के० ई० जौनसन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड
3. श्री आर० आर० खोसला, निदेशक
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, उप सचिव
5. श्री वी० पी० मिनोचा, अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे--उप-सचिव

2. समिति ने प्राक्कलन समिति के सभापति श्री कमलनाथ तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया :--

> "समिति 17 जनवरी, 1974 को अपने अत्यधिक सम्मानित सहयोगी और प्राक्कलन समिति के सभापति श्री कमलनाथ तिवारी के अचानक निधन पर अत्यधिक शोक व्यक्त करती है और शोकसंतत परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजती है।"

तत्पश्चात्, सदस्य मृतक के सम्मान में कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे।

3. तत्पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि भारत सरकार के जिन सचिवों को आज, 18 जनवरी 1974 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित किया गया था उन्हें अब शनिवार, 19 जनवरी, 1974 को 15.00 बजे उपस्थित होने को कहा जाए।

4. तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 19 जनवरी, 1974 को 10.30 बजे से 13.40 बजे तक और पुनः 15.00 बजे से 18.10 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे--सभापति

सदस्य

2. श्री भागवत झा आजाद
3. श्री ओंकार लाल बेरवा
4. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
5. श्री एम० भीष्मदेव
6. श्री जी० भुवाराहन
7. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट

8. श्री सोमनाथ चटर्जी

9. श्री एस० आर० दामाणी

10. श्री डी० डी० देसाई

11. श्री समर गुहा

12. श्री कार्तिक उरांव

13. श्री रामजीराम

14. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी

15. श्री बसंत साठे

16. श्रीमती सावित्री श्याम

17. श्री इरा सेझियान

18. श्री शिव कुमार शास्त्री

19. श्री सोमचन्द सोलंकी

20. श्री एम० सुदर्शनम

21. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

22. श्री के० आर० गणेश

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० बी० एस० पेरी शास्त्री—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**
2. श्री बी० एस० भाष्यम— **उप विधायी परामर्शदाता**

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग के प्रतिनिधि)

1. श्री आर० डी० शाह, **चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड**
2. श्री के० ई० जौन्सन, **सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड**
3. श्री आर० आर० खोसला, **निदेशक**
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, **उप-सचिव**
5. श्री वी० पी० मिनोचा, **अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—**उप-सचिव**

2. समिति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों, आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :—

(प्रारम्भ में सभापति ने अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश संख्या 58 के उपबन्धों की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाया।)

एक. श्री एन० ए० पालकीवाला,

वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय, बम्बई।

(10.30 बजे से 13.15 बजे तक)

दो. एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया, नई दिल्ली

प्रवक्ता

1. श्री एम० एच० मोदी
2. श्री के० सी० खन्ना
3. श्री आर० एन० रत्नम
4. श्री एम० एम० मल्होत्रा

(13.15 बजे से 13.40 बजे तक)

तत्पश्चात् समिति की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई और 15.00 बजे पुनः समवेत हुई

तीन. 1. श्री बी० डी० पांडे,
मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

2. श्री एम० आर० यार्डी,
वित्त सचिव,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

3. श्री एच० एन० रे,
सचिव,
(व्यय विभाग),
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

4. श्री आर० वी० रमन
सचिव,
औद्योगिक विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5. श्री बी० बी० लाल,
सचिव, योजना मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(15.00 बजे से 18.10 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया ।*

4. तत्पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि सरकारी संशोधनों की सूचना तथा उनके बारे में व्याख्यात्मक टिप्पण 28 जनवरी, 1974 तक लोक सभा सचिवालय को भेज दिये जायें ।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि सदस्य अपने संशोधनों की सूचनाएं, यदि कोई हों तो 1 फरवरी, 1974 तक भेज सकते हैं ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

पांच

पांचवी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 4 फरवरी, 1974 को 10.30 बजे से 13.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री भागवत झा आजाद
3. श्री ओंकार लाल बेरवा
4. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
5. श्री एम० भीष्मदेव
6. श्री जी० भुवराहन
7. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट

---

*अलग भेजा जा रहा है ।

8. श्री सोमनाथ चटर्जी

9. श्री यशवन्त राव चव्हाण

10. श्री बी० के दास चौधरी

11. श्री डी० डी० देसाई

12. श्री कार्तिक उरांव

13. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी

14. श्री वसन्त साठे

15. श्रीमती सावित्री श्याम

16. श्री इरा सेझियान

17. श्री शिव कुमार शास्त्री

18. श्री सोमचन्द सोलंकी

19. श्री एम० सुदर्शनम

20. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

21. श्री के० आर० गणेश

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**

2. श्री बी० एस० भाष्यम्—**उप विधायी परामर्शदाता**

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि (राजस्व तथा बीमा विभाग)

1. श्री आर० डी० शाह,—**चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**

2. श्री के० ई० जानसन—**सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**

3. श्री आर० आर० खोसला, **निदेशक**

4. श्री ओ० पी० भारद्वाज,**उप-सचिव**

5. श्री वी० पी० मिनोचा, **अवर सचिव**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे— **उप-सचिव**

2. सर्वप्रथम, समिति ने उसे दिये गए ज्ञापनों में तथा समिति के समक्ष दिये गए मौखिक साक्ष्य के दौरान उठाये गए विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य विचार-विमर्श किया। विचार विमर्श 12.15 बजे पूरा हुआ।

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया।

4. **खण्ड 2** निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 34–35

"इस निमित्त उसके द्वारा अनुमोदित" **के स्थान पर**

"इस निमित्त किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित" **प्रतिस्थापित करें।**

खण्ड, यथा संशोधित, स्वीकार किया गया।

5. तत्पश्चात्, समिति की बैठक मंगलवार, 5 फरवरी, 1974 को 10.30 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 5 फरवरी, 1974 को 10.30 बजे से 13.00 बजे तक और पुनः 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य

2. श्री भागवत झा आज़ाद
3. श्री ओंकार लाल बेरवा
4. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री यशवन्तराव चव्हाण
7. श्री एस० आर० दामाणी
8. श्री बी० के० दासचौधरी
9. श्री डी० डी० देसाई
10. श्रीमती एम० गौडफ्रे
11. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
12. श्री समर गुह
13. श्री श्याम सुन्दर महापात्र
14. श्री कार्तिक उरांव
15. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी
16. श्री वसन्त साठे
17. श्रीमती सावित्री श्याम
18. श्री इरा सेझियान
19. श्री शिव कुमार शास्त्री
20. श्री सोमचन्द सोलंकी
21. श्री एम० सुदर्शनन
22. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
23. श्री के० आर० गणेश

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० बी० एस० पेरी शास्त्री—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री बी० एस० भाष्यम—उपविधायी परामर्शदाता

वित मंत्रालय के प्रतिनिधि
(राजस्व और बीमा विभाग)

1. श्री आर० डी० शाह, अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
2. श्री के० ई० जोहनसन, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
3. श्री आर० आर० खोसला, निदेशक
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज, उप-सचिव
5. श्री वी० पी० मिनोचा, अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे— उप-सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

3. **खण्ड 3**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

परन्तु निर्धारिती, धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उस निर्धारण वर्ष की, जिसकी बात वह इस खण्ड के अधीन पहली बार कटौती का हकदार हुआ हो, आय की विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व, चाहे वह मूल रूप से नियत किया गया हो या बढ़ाया गया हो, आयकर अधिकारी को यह लिखित घोषणा दे सकेगा कि इस खण्ड के उपबन्ध उसको लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा कर देगा तो इस खण्ड के उपबन्ध उसको उस निर्धारण वर्ष के लिए और प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिये लागू नहीं होंगे, किन्तु ऐसा इस प्रकार होगा कि निर्धारिती धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी ऐसे पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व, चाहे वह मूल रूप से नियत किया गया हो या बढ़ाया गया हो । अपनी घोषणा को प्रतिसंहृत कर सकेगा और ऐसे प्रतिसंहरण पर, इस खण्ड के उपबन्ध निर्धारिती को, उस पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए और उसके बाद वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, लागू होंगे ;

(दो) पृष्ठ 3, पंक्ति 23, "परन्तु" **के स्थान पर** "परन्तु और कि" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(तीन) पृष्ठ 4, पंक्ति 1 और 2 "निर्धारिती द्वारा" का **लोप किया जाये ।**

इस खण्ड पर आगे विचार स्थगित हुआ ।

4. **खण्ड 4**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 4, पंक्ति 14, "(क)" का **लोप किया जाये ।**

(दो) पृष्ठ 4, 17 से 34 पंक्तियों का **लोप किया जाये ।**

यह खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

5. समिति की बैठक 13.00 बजे समाप्त हुई और 15.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

खण्ड 5—निम्नलिखित बातों पर विचार करने हेतु इस खण्ड पर विचार विमर्श स्थगित हुआ ।

(एक) क्या बड़े पैमाने पर कर के अपवंचन की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए धारा 35 (1) (दो) में संशोधन किया जा सकता है ; और

(दो) क्या किसी कारबार से सम्बद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए दी गई राशि का समावेश करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35 की प्रस्तावित उप-धारा (2क) में प्रवर्धन किया जा सकता है ।

7. **खण्ड 6**—इस खण्ड पर आगे विचार स्थगित हुआ ।

8. **खण्ड 7 और 8**—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

9. **खण्ड 9**—इस खण्ड पर विचार स्थगित हुआ ।

10. **खण्ड 10 से 12**—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये ।

11. **खण्ड 13**—इस खण्ड पर विचार स्थगित हुआ ।

12. **खण्ड 14**—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

13. समिति ने निश्चय किया कि सदस्य के खण्ड 16 में संशोधन की और सूचना, यदि कोई हो, तो सोमवार, 11 फरवरी, 1974 तक भेज सकते हैं ।

14. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिये सोमवार, 18 फरवरी, 1974 को 15.00 बजे समवेत होने का निश्चय किया ।

15. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 18 फरवरी, 1974 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य

2. श्री भागवत झा आजाद
3. श्री ओंकार लाल बेरवा
4. श्री यशवन्त राव चव्हाण
5. श्री बी० के० दास चौधरी
6. श्री डी० डी० देसाई
7. श्रीमती एम० गौडफ्रे
8. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
9. श्री समर गुह
10. श्री एच० एम० पटेल
11. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी

विधायी परामर्शदाता

श्री वी० एस० भाष्यम्—उप विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री० आर० डी० शाह—चैयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
2. श्री के० ई० जोन्सन—सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
3. श्री ओ० पी० भारद्वाज—उप-सचिव ।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. प्रारम्भ में समिति को बताया गया कि वित्त तथा विधि और न्याय मंत्रालयों से सम्बन्धित अधिकारी मार्च, 1974 तक बजट सम्बन्धी कार्य में व्यस्त रहेंगे ।

3. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुये समिति ने अनुभव किया कि विधेयक पर खण्ड-वार विचार तथा उसके अन्य प्रक्रमों के कार्यों को निर्धारित तिथि, अर्थात 22 फरवरी, 1974 तक पूरा करना समिति के लिए सम्भव नहीं होगा । इसलिये समिति ने अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय को 30 अप्रैल, 1974 तक बढ़ाने की मांग करने का निर्णय किया ।

4. समिति ने सभापति को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती एम० गौडफ्रे को इस सम्बन्ध में 21 फरवरी, 1973 को सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

5. तत्पश्चात समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया तथा निम्नलिखित निर्णय किया :—

(एक) विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करना	मंगलवार, 26 मार्च, 1974 तथा बधवार, 27 मार्च, 1974।
(दो) प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना	मंगलवार, 16 अप्रैल, 1974।
(तीन) सदस्यों के विमति टिप्पण	सोमवार, 22 अप्रैल, 1974।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 26 मार्च, 1974 को 15.00 बजे से 15.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री एस० आर० दामाणी
5. श्री डी० डी० देसाई
6. श्री श्याम सुन्दर महापात्र
7. श्री एच० एम० पटेल
8. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी
9. श्री इरा सेझियान

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**
2. श्री बी० एस० भाष्यम्—**उप-विधायी परामर्शदाता**

वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० डी० शाह— **चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**
2. श्री के० ई० जान्सन—**सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**
3. श्री आर० आर० खोसला—**निदेशक**
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज—**उप-सचिव**
5. श्री वी० पी० मित्तोचा—**अवर-सचिव**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—**उप-सचिव**

2. गणपूर्ति न होने के कारण समिति की बैठक स्थगित हुई ।

3. सभापति ने घोषणा की कि समिति की बैठक निश्चित कार्यक्रमानुसार बुधवार, 27 मार्च, 1974 को 15.00 बजे होगी ।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 27 मार्च, 1974 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
3. श्री सोमनाथ चटर्जी

4. श्री यशवन्त राव चव्हाण
5. श्री एस० आर० दामाणी
6. श्री बी० के० दासचौधरी
7. श्री डी० डी० देसाई
8. श्री एच० एम० पटेल
9. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी
10. श्री इरा सेझियान
11. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
12. श्री के० आर० गणेश

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० बी० एस० पेरी-शास्त्री--**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**
2. श्री बी० एस० भाष्यम्--**उप-विधायी परामर्शदाता**

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० डी० शाह--**अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।**
2. श्री के० ई० जोनसन--**सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।**
3. श्री आर० आर० खोसला--**निदेशक।**
4. श्री ओ० पी० भारद्वाज--**उप-सचिव।**
5. श्री वी० पी० मनोचा--**अवर-सचिव।**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे--**उप-सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर खण्ड-वार विचार पुनः आरम्भ किया।

3. **खण्ड 3.** [देखिये दिनांक 5 फरवरी, 1974 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 3]--निम्नलिखित और संशोधन स्वीकृत किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 से 19 **के स्थान पर प्रतिस्थापित** किया जाये।

"परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन निम्नलिखित की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी--

(क) किसी कार्यालय के परिसर या किसी निवास स्थान में, जिसके अन्तर्गत अतिथि-गृह के प्रभार का स्थान भी है, संस्थापित मशीनरी या संयंत्र, और

(ख) ऐसा पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र जिसकी बाबत धारा 33 के अधीन विकास रिबेट के रूप में कटौती अनुज्ञेय है।"

खण्ड पुनः संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

4. **खण्ड 5.** [देखिये दिनांक 5 फरवरी, 1974 के कार्यवाही सारांश का पैरा 6]--निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 5, पंक्ति 17-18, "उसके द्वारा चलाये जा रहे कारबार से सम्बन्धित" का **लोप** कीजिये।

(दो) पृष्ठ 5, पंक्ति 30 से 34 का **लोप** कीजिये।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकर किया गया।

5. **खण्ड 6.** [देखिये दिनांक 5 फरवरी, 1974 के कार्यवाही सारांश का पैरा 7] खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

6. **खण्ड 9.** निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 6, पंक्ति 32 से 38 तथा पृष्ठ 7, पंक्ति 1 से 11 का **लोप** कीजिये ।

तथापि समिति ने इच्छा व्यक्त की कि सरकार उसकी अगली बैठक में समिति के विचार के लिये इस सम्बन्ध में संशोधित मसौदा प्रस्तुत कर सकेगी ।

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 30, "पोत के सन्निर्माण या" का **लोप** कीजिये ।

खण्ड पर आगे विचार रोक दिया गया ।

7. **खण्ड 13.** [देखिये दिनांक 5 फरवरी, 1974 के कार्यवाही सारांश का पैरा 11] खण्ड बिना किसी संशोधन स्वीकार किया गया ।

8. **खण्ड 15.** निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 10, पंक्ति 5--7 के **स्थान पर** प्रतिस्थापित किया जाये :--

"बिहार: भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी-चम्पारन, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पालामऊ, पूर्णिया, सहरसा, मसस्तीपुर, संथाल परगना, सारन, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली और पश्चिमी चम्पारन जिले ।"

(दो) पृष्ठ 10, पंक्ति "हिसार" के पहले "भिवानी" **अंतःस्थापित** कीजिये ।

(तीन) पृष्ठ 10, पंक्ति 12 "चम्बा **के बाद** हमीरपुर" **अन्तःस्थापित** कीजिये ।

(चार) पृष्ठ 10, पंक्ति 12-13 "और लाहुल और स्पिति" **के स्थान पर** "लाहुल और स्पीति, सिरमूर, सोलन और ऊना" **प्रति-स्थापित** कीजिये ।

(पांच) पृष्ठ 10, पंक्ति 16 **के बाद अन्तःस्थापित** कीजिये ।

"कर्नाटक : बेलगांव, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर, दक्षिणी कनारा और तुमकुर जिले ।"

(छ) पृष्ठ 10, पंक्ति 24 "राजगढ़" **के बाद** "राजनांद गांव" **अन्तःस्थापित** कीजिये ।

(सात) पृष्ठ 10 पंक्ति 29 "कोलाबा" **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिये :--

भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० आर० पी० बी० 1173--1--आर० पी० सी० तारीख 16 अगस्त, 1973 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं० आर० पी० बी० 1171--18124--आई० डब्ल्यू० तारीख 20 मार्च, 1971 में, जो महाराष्ट्र सरकार (नगर विकास, लोक स्वास्थ्य और आवास विभाग) द्वारा महाराष्ट्र रिजनल एण्ड टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 (1966 का महाराष्ट्र अधिनियम सं० 37) की धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई है, प्रस्थापित नए मुम्बई नगर के स्थल के रूप में अभिहित क्षेत्र में समाविष्ट प्रभाग को छोड़कर कोलाबा जिला"

(आठ) पृष्ठ 10, पंक्ति 33--34

"और यूनाइटेड खासी और जयन्तिया हिल्स" के **स्थान पर** "जयन्तिया हिल्स और खासी हिल्स" **प्रतिस्थापित** कीजिये ।

(नौ) पृष्ठ 10, पंक्ति 35 से 38 का **लोप** कीजिये ।

(दस) पृष्ठ 11, पंक्ति 5 "भटिण्डा जिला" **के स्थान पर प्रतिस्थापित** कीजिये :

"भटिण्डा जिला ; फरीदकोट जिले का इतना भाग जो 31 जुलाई, 1972 को भटिण्डा जिले का हिस्सा था ;"

(ग्यारह) पृष्ठ 11, पंक्ति 23, "शाहजहांपुर" **के पश्चात्** "सीतापुर" **अन्तःस्थापित** कीजिये ।

(बारह) पृष्ठ 11, पंक्ति 36 तथा 37

"लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह" **के स्थान पर** "लक्षद्वीप" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(तेरह) पृष्ठ 11, पंक्ति 39 **के बाद** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किया जायें :--

"स्पष्टीकरण--जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, इस अनुसूची में किसी जिले के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस जिले में 3 सितम्बर, 1973 को, जो प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को लोक सभा में पुरःस्थापित करने की तारीख है, समाविष्ट क्षेत्रों के प्रति निर्देश है ।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

9. **खण्ड 16 :** खण्ड पर विचार स्थगित कर दिया गया ।

10. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर खण्डवार आगे विचार आरम्भ करने के लिए सोमवार, 8 अप्रैल, 1974 को 15.00 बजे बैठक करने का निर्णय किया ।

11. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 8 अप्रैल, 1974 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य

2. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
3. श्री यशवन्तराव चव्हाण
4. श्री बी० के० दासचौधरी
5. श्री डी० डी० देसाई
6. श्री कार्तिक उरांव
7. श्री एच० एम० पटेल
8. श्री वसंत साठे
9. श्रीमती सावित्री श्याम
10. श्री सोमचन्द सोलंकी
11. श्री एम० सुदर्शनम्
12. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री वी० एस० भाष्यम्—उप-विधायी परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० ई० जांनसन्—सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड
2. श्री आर० आर० खोसला, निदेशक
3. श्री ओ० पी० भारद्वाज, उप-सचिव
4. श्री वी० पी० मिनोचा, अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. समिति ने विधेयक पर पुनः खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

3. खण्ड 3 —[देखिये दिनांक 27 मार्च, 1974 की कार्यवाही सारांश का पैरा 3] समिति ने इस खण्ड पर पुनः चर्चा आरम्भ की । निम्नलिखित और आगे संशोधन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 3

(एक) पंक्ति 12, "नवम अनुसूची" **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाये—

"अथवा उस तारीख के पश्चात् किन्हीं अन्य चीजों या वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजन के लिये किसी लघु औद्योगिक उपक्रम में स्थापित (कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यानों से भिन्न नई मशीनरी या संयन्त्र की दशा में"

(दो) पृष्ठ 4 पंक्ति 11 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये**--

"(3) किसी औद्योगिक उपक्रम को तब लघु औद्योगिक उपक्रम समझा जायेगा जबकि उपक्रम के कारबार के प्रयोजन के लिये संस्थापित मशीनरी और संयंत्र का पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन सकल मूल्य सात लाख पचास हजार रुपये से अधिक न हो और इस प्रयोजन के लिये मशीनरी अथवा संयंत्र का मूल्य :--

(क) निर्धारिती के स्वामित्वाधीन मशीनरी या संयंत्र की दशा में उस पर निर्धारिती की वास्तविक लागत होगा; और

(ख) निर्धारिती द्वारा किराये पर ली गई मशीनरी या संयंत्र की दशा में उसकी वह वास्तविक लागत होगा जो उस मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की दशा में होता।

खण्ड को और आगे संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

4. खण्ड 5. [देखिये दिनांक 27 मार्च, 1974 की कार्यवाही सारांश का पैरा 4] समिति ने इस खण्ड पर पुनः चर्चा आरम्भ की। निम्नलिखित और आगे संशोधन स्वीकार किये गये :--

(एक) पृष्ठ 5, पंक्ति 17-18 "उसके द्वारा चलाये जा रहे कारबार से सम्बन्धित" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये--

"जो भारत की सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विहित प्रधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन हाथ में लिया गया हो"

(दो) पृष्ठ 5, पंक्ति 26 से 34 का लोप किया जाये।

खण्ड और आगे संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

5. खण्ड 9. [देखिये दिनांक 27 मार्च, 1974 की कार्यवाही सारांश का पैरा 6] निम्नलिखित और आगे संशोधन स्वीकार किये गये :--

(1) पृष्ठ 6

(एक) पंक्ति 29 "अष्टम अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट" का लोप किया जाये ;

(दो) पंक्ति 32 "वह" के पश्चात् "किसी पिछड़े क्षेत्र में" अन्तःस्थापित किया जाये;

(तीन) पंक्ति 37 "वह" के पश्चात् "किसी पिछड़े क्षेत्र में अन्तः स्थापित किया जाये ;

(चार) पृष्ठ, 7 पंक्ति 1 से 5 का लोप किया जाये ;

(पांच) पंक्ति 6, 7 **के स्थान पर** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाये--

"**स्पष्टीकरण** :--जहां किसी पिछड़े क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिये तत्पूर्व प्रयुक्त कई मशीनरी संयंत्र या उसका कोई भाग उस क्षेत्र में या किसी अन्य पिछड़े क्षेत्र में किसी नये कारबार को अन्तरित किया जाता है";

(छः) पंक्ति 14 "अष्टम अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट" का लोप किया जाये।

(2) पृष्ठ 8 पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाये--

'**स्पष्टीकरण**--इस धारा में "पिछड़े क्षेत्र" से अष्टम अनुसूची की सूची में निर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है।'

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

6. खण्ड 16. [देखिये दिनांक 27, मार्च, 1974 की कार्यवाही सारांश का पैरा 9] निम्नलिखित संशोधन स्वीकार हुये:--

पृष्ठ 12

(एक) पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :--

"4. इस्पात की ढलाई और फोर्ज तथा धातवर्धनीय लौह और इस्पात की ढलाई।"

(दो) पंक्ति 16 के **स्थान पर** प्रतिस्थापित किया जाये :—

"11. उर्वरक अर्थात् अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट (दोहरा लवण) अमोनियम नाइट्रेट, कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (नाट्रोलाइम स्टोन) अमोनियम क्लोराइड, सुपर फास्फेट, यूरिया तथा संलिष्ट मूल के सम्मिश्रित उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों दी हों, जैसे अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट फास्फेट और अमोनियम नाइट्रो फास्फेट";

(तीन) पंक्ति 26 तथा 27 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाये।

"21. टेक्सटाइ (जिसमें रंगे हुए छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत टेक्सटाइल सम्मिलित है), जो पूणतः या मुख्यतः रूई से बने हुए हों जिसमें रूई का सूत, होजरी और रस्सा सम्मिलित है।

22. टेक्सटाइल (जिसमें रंगे हुए छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत टेक्सटाइल सम्मिलित हैं), जो पूणतः या मुख्यतः जूट से बने हुए हो जिसमें जूट सूतली और जूट का रस्सा सम्मिलित है।

23. सीमेंट और उच्च ताप सह।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार हुआ।

7. खण्ड 17 से 24—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

8. खण्ड 1—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, "1973" के स्थान पर "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

यह खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

9. अधिनियमन सूत्र—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :–

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "चौबीसवें" के स्थान पर "पच्चीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

10. पूरा नाम—पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

11. समिति ने स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करने और विधेयक में प्रारूपण सम्बन्धी या पारिणामिक किस्म के, यदि कोई हों, संशोधन करने के लिए विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया।

12. समिति ने निश्चय किया कि–

(एक) समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को सभा-पटल पर रखा जाये; और

(दो) सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से प्राप्त ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां सदस्यों के हवाले के लिए संसद्-ग्रंथालय में रखी जायें।

13. तत्पश्चात् सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के विमति टिप्पणों से सम्बन्धित निदेश 87 के उपबन्धों की ओर दिलाया।

14. समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने के लिए सोमवार, 22 अप्रैल, 1974 को 10.00 बजे समवेत होने का निश्चय किया।

15. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 22 अप्रैल, 1974 को 10.00 बजे से 11.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
3. श्रीमती मार्जरी गोडफ्रे
4. श्री श्याम सुन्दर महापात्र

5. श्री एच० एम० पटेल

6. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी

7. श्री वसन्त साठे

8. श्रीमती सावित्री श्याम

9. श्री एम० सुदर्शनम्

10. श्री के० आर० गणेश

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री–असंयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

2. श्री वी० एस० भाष्यम्––उप-विधायी परामर्शदाता।

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० डी० शाह––अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

2. श्री के० ई० जॉन्सन––सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

3. श्री आर० आर० खोसला–निदेशक

4. श्री ओ० पी० भारद्वाज––उप-सचिव

श्री वी० पी० मिनोचा––अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे––उप-सचिव

2. समिति ने विधेयक पर विचार किया तथा उसे संशोधित रूप में स्वीकार किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन स्वीकार किया :

(एक) पैरा 13 (एक)

"समिति का विचार है कि प्रारम्भिक अवक्षयण का प्रस्तावित लाभ लघु औद्योगिक उपक्रमों को उन उपक्रमों में संस्थापित मशीनरी तथा संयंत्र के लिये दिया जाना चाहिये, चाहे ऐसे उपक्रम किसी भी वस्तु या चीज का विनिर्माण करते हों।"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :–

"समिति का विचार है कि प्रारम्भिक अवक्षयण का प्रस्तावित लाभ लघु औद्योगिक उपक्रमों में संस्थापित मशीनरी और संयंत्र को दिया जाना चाहिये चाहे ऐसे उपक्रम किसी भी वस्तु या चीजों का विनिर्माण करते हों।"

(दो) पैरा 13 (दो),

"31 मई 1974" के स्थान पर "1 जून 1974" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) वि ,मान पैरा 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :––

"19. खण्ड 1. अधिनियमन सूत्र और औपचारिक किस्म के परिवर्तन :–लोक-सभा में विधेयक 3 सितम्बर, 1973 को पुरःस्थापित किया गया था। समय व्यतीत हो जाने के कारण खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा किन्हीं अन्य खण्डों में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

खण्ड एक के उपखण्ड (2) के कारण खण्ड 2, 6, 14, 17, 19, 21, तथा 22 जिनमें प्रारम्भ संबंधी उपबन्ध नहीं है, 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रभावी माने जायेंगे। विधेयक के खण्ड 14, 17, 19 तथा 21 भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस शक्ति का उपयोग इस विधान के संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जा सकता है तथा समिति का विचार है कि इन खण्डों को भूत-लक्षी प्रभाव से लागू करना आवश्यक नहीं है । खण्ड 2, 6 तथा 22 के प्रयोजन के लिये भूतलक्षी प्रभाव का होना

महत्वपूर्ण है । इसलिये समिति की सिफारिश है कि खण्ड एक के उपखण्ड (2) का लोप कर दिया जाये तथा खण्ड 2, 6 तथा 22 में भूतलदा प्रभाव की व्यवस्था करने के विशिष्ट उपबन्ध किये जायें ।

पुर: स्थापित किये गये विधेयक में खण्ड 5(क) तथा (ग), 7, 8, 9, 10, 11, 12 तथा 15 में प्रस्तावित संशोधन को 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से लागू किये जाने का आदेश दिया गया था। क्योंकि 1974 के अप्रैल का प्रथम दिन समाप्त हो चुका है, समिति का विचार है कि निदेश का तदर्थक रूप में संशोधन करना आवश्यक है कि सम्बद्ध संशोधन को 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से किया गया माना जाये। पूर्वोक्त उपबन्धों में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।"

4. सभापति महोदय ने घोषणा की कि यदि कोई विमति टिप्पण हो तो उसे गुरुवार, 25 अप्रैल 1974 तक लोक-सभा सचिवालय को भेज दिया जाये ।

5. समिति ने सभापति महोदय, और उनकी अनुपस्थितियों में, श्री वसन्त साठे को सोमवार, 29 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य रखने के लिये प्राधिकृत किया ।

6. समिति अपने विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दी गयी सहायता की भी प्रशंसा करती है ।

7. समिति विधायी परामर्शदाता तथा वित्त मंत्रालय और लोक-सभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता की भी प्रशंसा करती है ।

8. समिति की कार्यवाही को योग्यतापूर्वक चलाने तथा विधेयक की अवस्थाओं पर समिति के विचार-विमर्श में मार्ग-दर्शन करने के लिये समिति सभापति महोदय (श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे) को भी धन्यवाद देती है ।

9. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।